# प्रयासकीय प्रतिवेदन

**वर्ष : 2017-18**

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
भू-तल, ब्लॉक 4 डी, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
कार्यालय : फोन - 0771-2263708, फैक्स - 0771-2262558
e-mail : ctd.cg@nic.in

छत्तीसगढ़ संवाद

## छत्तीसगढ़ शासन
## आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय के छात्राओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ की लोक कला का प्रदर्शन

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिभाशाली छात्रा को प्रोत्साहित करते हुए

एकलव्य आवासीय विद्यालय, शिवप्रसाद नगर, जिला-सूरजपुर

# प्रशासकीय प्रतिवेदन

## वर्ष 2017-18

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

## छत्तीसगढ़ शासन

| | | |
|---|---|---|
| विभाग का नाम | - | आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग |
| भार साधक मंत्री | - | माननीय श्री केदार कश्यप |
| संसदीय सचिव | - | माननीय श्री अंबेश जांगड़े |

## मंत्रालय

| | | |
|---|---|---|
| विशेष सचिव<br>(स्वतंत्र प्रभार) | - | रीना बाबासाहेब कंगाले |
| संयुक्त सचिव | - | श्री डी.डी. कुंजाम |
| संयुक्त सचिव | - | श्री एम. एम. मिंज |
| वित्तीय सलाहकार | - | श्री तिलक कुमार सोरी |

## विभागाध्यक्ष

| | | |
|---|---|---|
| आयुक्त | - | रीना बाबासाहेब कंगाले<br>आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,<br>नया रायपुर (छ.ग.) |
| संचालक | - | रीना बाबासाहेब कंगाले<br>आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर |

# विषय-सूची


| क्रमांक | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | **भाग-एक** | |
| 1 | विभाग की संरचना | 1 |
| 2 | विभाग का परिचय | 2-3 |
| 3 | विभाग का दायित्व एवं कार्य | 4 |
| 4 | विभाग के अधीन गठित आयोग / मण्डल एवं अन्य समितियाँ | 5-8 |
| 5 | महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी | 9-11 |
| | **भाग-दो** | |
| 6 | विभागीय बजट 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 (दिसम्बर 2017 की स्थिति में) | 12 |
| 7 | विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण | 13-18 |
| | **भाग-तीन** | |
| 8 | विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ | 19-58 |
| 9 | छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम | 59 |
| 10 | वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन | 60-62 |
| 11 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना | 63-64 |
| | **भाग-चार** | |
| 12 | आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान | 65-70 |
| 13 | आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण | 71-73 |
| | **भाग-पांच** | |
| 14 | अभिनव योजनाएँ | 74-83 |
| | **भाग-छः** | |
| 15 | आगामी सत्र के लिए प्रस्तावित नवीन योजना | 84 |
| | **भाग-सात** | |
| 16 | सारांश | 85-86 |

# भाग - एक

# छत्तीसगढ़ का मानचित्र

# विभाग की संरचना

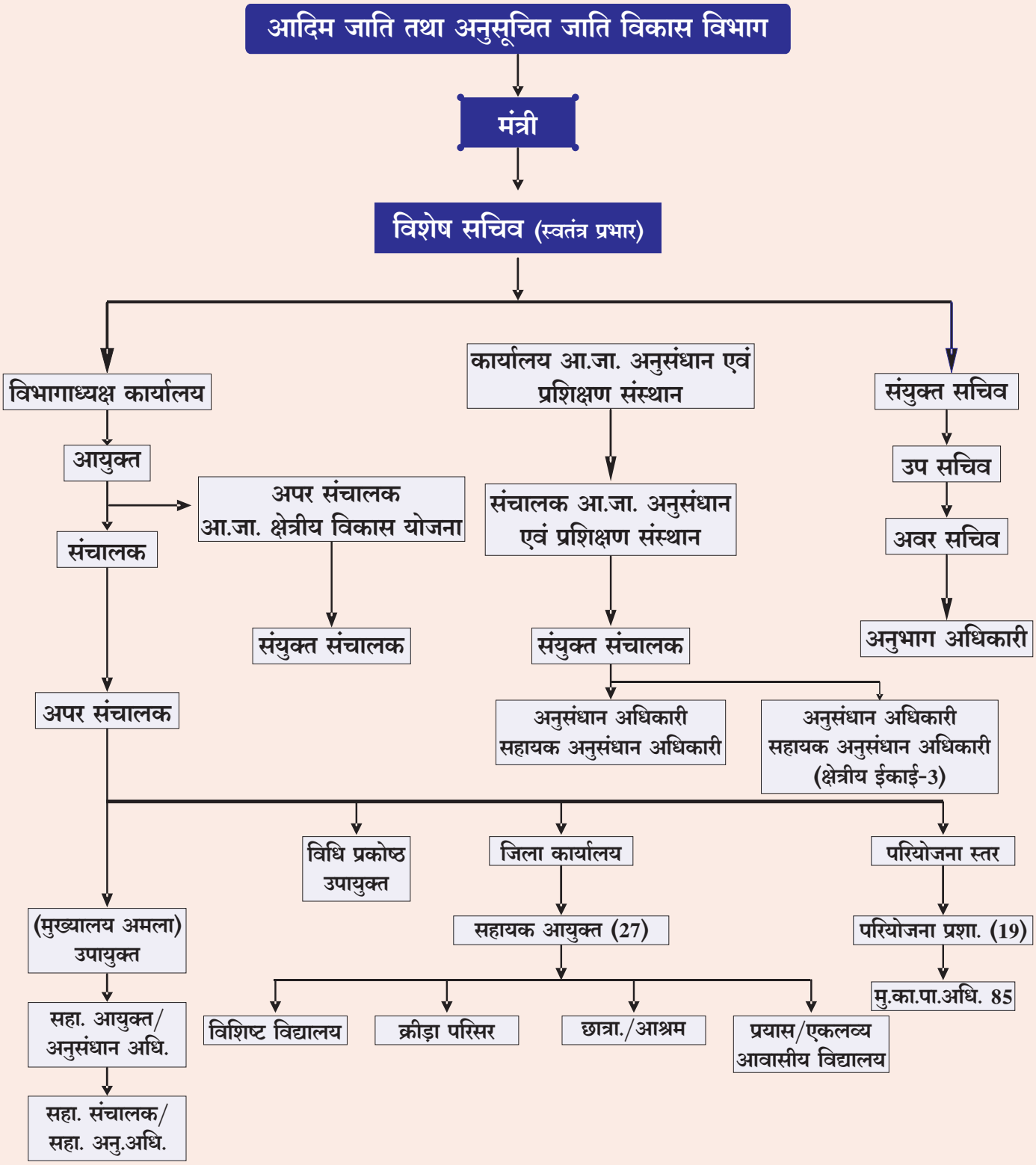
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्री
विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
विभागाध्यक्ष कार्यालय
आयुक्त
संचालक
अपर संचालक
आ.जा. क्षेत्रीय विकास योजना
संयुक्त संचालक
अपर संचालक
(मुख्यालय अमला)
उपायुक्त
सहा. आयुक्त/
अनुसंधान अधि.
सहा. संचालक/
सहा. अनु.अधि.
कार्यालय आ.जा. अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण संस्थान
संचालक आ.जा. अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण संस्थान
संयुक्त संचालक
अनुसंधान अधिकारी
सहायक अनुसंधान अधिकारी
अनुसंधान अधिकारी
सहायक अनुसंधान अधिकारी
(क्षेत्रीय ईकाई-3)
संयुक्त सचिव
उप सचिव
अवर सचिव
अनुभाग अधिकारी
विधि प्रकोष्ठ
उपायुक्त
जिला कार्यालय
सहायक आयुक्त (27)
विशिष्ट विद्यालय
क्रीड़ा परिसर
छात्रा./आश्रम
प्रयास/एकलव्य
आवासीय विद्यालय
परियोजना स्तर
परियोजना प्रशा. (19)
मु.का.पा.अधि. 85

# विभाग का परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद-46, में सौंपे गए कर्तव्य ''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि के लिए'' संविधान के अनुच्छेद-244 एवं संविधान के अनुच्छेद-275 (1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद-164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है।

भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 'समानता के अधिकार' से संपन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं।

संविधान की मंशा के अनुरूप आदिवासियों और अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएँ बनीं। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास-यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुए। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियाँ रेखांकित की जाने लगीं है। सामाजिक क्षेत्र में इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। शासन-प्रशासन में इनकी सहभागिता सम्मानजनक रूप से बढ़ी है। फिर भी विकास की यह यात्रा और लंबी है। प्रगति के अनगिनत सोपान अभी और तय किए जाने है।

## प्रशासनिक संरचना :-

विभाग की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत माननीय मंत्री जी के निर्देशन में विभाग के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के दायित्वों का भी निष्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्धता केवल आदिवासियों के विकास के लिए ही नहीं बल्कि उनके उत्पीड़न के उन्मूलन के लिए प्रयास भी करना है। साथ ही साथ यह विभाग आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए समाज के अन्य पिछड़े, शोषित एवं वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कृत संकल्प है।

### अ. मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर अपर मुख्य सचिव एवं सचिव का पद सृजित है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों की व्यवस्था एवं अनुश्रवण से संबंधित समस्त प्रशासनिक विभागों के विकास कार्यक्रमों/ योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

मंत्रालय स्तर पर अपर मुख्य सचिव एवं सचिव के अधीनस्थ विभागीय कार्यों के संपादन के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, वित्तीय सलाहकार तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कार्यरत हैं।

आदिम जाति और अनुसूचित जाति समुदायों के विकास की योजनाएँ तैयार कर उन्हें बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय का है। अन्य विकास विभागों से समन्वय की भूमिका भी इस विभाग की है। अतः अनुसूचित वर्गों के समुचित विकास के संदर्भ में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की दोहरी जिम्मेदारी है।

### ब. विभागाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु एक विभागाध्यक्ष पद का सृजन किया गया है। विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त/संचालक होते हैं। आयुक्त/संचालक मुख्यालय अमला एवं क्षेत्रीय अमला के मुख्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते हैं। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त के अधीनस्थ संचालक, अपर संचालक, उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

## विधि प्रकोष्ठ :-

विधि प्रकोष्ठ में उच्चतम न्यायालय, उच्चन्यायालय, न्यायाधिकरणों में प्रस्तुत मामलों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने, प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत कराने, प्रकरणों का निपटारा कराने, सही समय पर शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के साथ अनुश्रवण एवं समीक्षा के कार्य किए जाते हैं। विधि प्रकोष्ठ का प्रमुख उपायुक्त स्तर का अधिकारी होता है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में होने के कारण यह कार्यालय भी बिलासपुर में रखे जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय को रायपुर से बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।

### स. जिला स्तर

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 27 जिलों में विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्यवन हेतु विभागीय सहायक आयुक्त के पद स्वीकृत हैं। इनके द्वारा मुख्यतः जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के विकास हेतु छात्रावास, आश्रम, स्कूल का प्रबंधन, अनुश्रवण एवं समीक्षा जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में सम्पन्न किया जाता है। सहायक आयुक्त कार्यालय के अधीन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माडा पाकेट, लघु अंचल विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण होते हैं। प्रदेश के 85 विकास खण्ड आदिवासी विकास खण्ड घोषित हैं। इन विकास खण्डों में 85 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 09 माडा पॉकेट, 02 लघु अंचल तथा 06 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं 09 विशेष जनजाति प्रकोष्ठ संचालित हैं।

### द. परियोजना स्तर

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आदिवासी जनसंख्या के आधार पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय के प्रमुख परियोजना प्रशासक संयुक्त संचालक स्तर के होते हैं। राज्य में कुल 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं।

# विभाग का दायित्व एवं कार्य

- संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का संचालन।
- आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अन्य सक्षम वर्गों के द्वारा शोषित एवं उत्पीड़ित किए जाने की स्थिति में शोषित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण, राहत एवं पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था करने का दायित्व।

## विभाग का कार्य :-

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास की योजनाओं के लिए बजट आबंटन उपलब्ध कराना। मांग संख्या 15,33,41,49,64,66,68 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति, अनसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आवंटन की निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन। केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण।
- विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण-पत्रों का परीक्षण।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 एवं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत सतत् परिवर्तन कर नियमित अनुसंधान एवं समस्याओं का अनवरत आकलन कर वैधानिक समाधान के साथ आवश्यक सुझाव देना।

# विभाग के अधीन गठित आयोग/मंडल एवं अन्य समितियाँ

## 1. जनजाति सलाहकार परिषद :-

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु मान. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय आदिम जाति मंत्रणा परिषद् गठित है। वर्ष 2014 में परिषद् की एक बैठक दिनांक 22.07 2014 को सम्पन्न हुई। छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्र0/एफ-20-2/2009/25-2 नया रायपुर दिनांक-27 जून 2014 के द्वारा आदिम जाति मंत्रणा परिषद् नियमावली 2006 के उप नियम-3 एवं 4 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ0ग0 राज्य के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया था। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

| स.क्र. | नाम अधिकारी/सम्माननीय जनप्रतिनिधि | पद |
|---|---|---|
| 1. | मान. मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन | अध्यक्ष |
| 2. | मान. श्री केदार कश्यप, मंत्री, आ.जा. तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग | उपाध्यक्ष |
| 3. | मान. श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर | सदस्य |
| 4. | मान. श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़ | सदस्य |
| 5. | मान. श्री विक्रम उसेंडी, सांसद कांकेर | सदस्य |
| 6. | मान. सुश्री चम्पा देवी पावले, विधायक, भरतपुर-सोनहत | सदस्य |
| 7. | मान. श्री राम सेवक पैकरा, विधायक, प्रतापपुर | सदस्य |
| 8. | मान. श्री राजशरण भगत, विधायक, जशपुर | सदस्य |
| 9. | मान. श्री रोहित कुमार साय, विधायक, कुनकुरी | सदस्य |
| 10. | मान. श्री शिवशंकर पैकरा, विधायक, पत्थलगांव | सदस्य |
| 11. | मान. श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया, विधायक, लैलूंगा | सदस्य |
| 12. | मान. श्री गोवर्धन सिंह मांझी, विधायक, बिन्द्रानवागढ़ | सदस्य |
| 13. | मान. श्री श्रवण मरकाम, विधायक, सिहावा | सदस्य |
| 14. | मान. श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर | सदस्य |
| 15. | मान. श्री चिन्तामणी महाराज, विधायक, लुण्ड्रा | सदस्य |
| 16. | मान. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, विधायक, मोहला-मानपुर | सदस्य |
| 17. | मान. श्रीमती देवती कर्मा, विधायक, दंतेवाड़ा | सदस्य |
| 18. | मान. श्री खेलसाय सिंह, विधायक, प्रेमनगर | सदस्य |
| 19. | अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग | सचिव |

विभागीय अधिसूचना दिनांक 02.12.2016 द्वारा मान. श्यामलाल कंवर, विधायक रामपुर, जिला-कोरबा को परिषद का सदस्य मनोनित किया गया है। विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य रहेंगे, जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगे।

## 2. राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति :-

राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधन नियम, 2016 के नियम 16 के अंतर्गत दिनांक 17.10.2016 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 24 सदस्य राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है। पूर्व में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक दिनांक 31.03.2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की जा चुकी है। जिला स्तर पर कैलेण्डर वर्ष 2017 में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की 100 बैठकें आयोजित की गई है।

## 3. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग :-

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम-1995 के प्रावधानों के अनुसार तीन सदस्यीय आयोग गठित है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष पद पर श्री जी.आर. राना दिनांक 07.07.2016 से मनोनीत हैं एवं दो सदस्य पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 160.10 लाख है, प्रावधानित राशि में से राशि रुपए 130.50 लाख आयोग को जारी की जा चुकी है।

## 4. राज्य अल्पसंख्यक आयोग :-

राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों को संवैधानिक प्रगति का मूल्यांकन, अल्पसंख्यक के विरूद्ध किसी भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन, दूर करने के उपाय, अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषयों का अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण के उद्देश्य के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 की धारा-3(2) के तहत अध्यक्ष एवं सदस्य का पद स्वीकृत है। जिसमें अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह कैम्बो को नियुक्त किया गया है तथा दो सदस्यों का मनोनयन किया गया है। वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधानित राशि रु. 216.30 लाख है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 81.11 लाख जारी की जा चुकी है।

## 5. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग :-

अन्य पिछड़ा वर्ग के जातियों की सतत् पहचान, खोजबीन तथा फर्जी जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त करने, शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सुझाव देने तथा इस वर्ग के हितप्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा

वर्ग आयोग 1995 के प्रावधान अनुसार गठित किया गया वर्तमान में इसमें अध्यक्ष पद पर डॉ. श्री सियाराम साहू एवं अन्य 06 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 110.00 लाख है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 82.19 लाख जारी की जा चुकी है।

## 6. राज्य अनुसूचित जाति आयोग :-

राज्य में अनुसूचित जाति के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री रामजी भारती दिनांक 28.06.2016 से पदस्थ हैं एवं दो अन्य सदस्य पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 150.20 लाख है, जिसके विरूद्ध राशि रूपए 102.49 लाख जारी की जा चुकी है।

## 7. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम :-

राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु अंत्यावसायी सहाकारी वित्त एवं विकास निगम संचालित है। प्रदेश के सभी जिलों में निगम की जिला इकाइयाँ कार्यरत हैं।

## 8. राज्य हज कमेटी :-

हज कमेटी एक्ट 2002 के प्रावधान अनुसार राज्य में हज समिति गठित है। हज कमेटी का मुख्य कार्य प्रदेश के हज यात्रियों के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना, सेंट्रल हज कमेटी एवं विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप हज यात्रियों की व्यवस्था, हज यात्रियों के आवेदन पत्र प्राप्त करना, पंजीयन, चयन, प्रशिक्षण, टीकाकरण, पासपोर्ट आदि तैयार करवाना है। वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर माननीय श्री सैय्यद सैफुद्दीन बबलु तथा 12 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 120.00 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 88.00 लाख जारी की जा चुकी है।

## 9. छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड :-

वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्य मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान व दरगाह, ईदगाह की देखरेख, केन्द्रीय वक्फ बोर्ड अधिनियम-1995 के तहत् निर्देशों का पालन, मुतवल्लियों का चुनाव सम्पन्न करना। वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष पद पर माननीय मोहम्मद सलीम अशरफी एवं 07 सदस्य है। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 120.00 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 120.00 लाख का आबंटन जारी की जा चुका है।

## 10. राज्य उर्दू अकादमी :-

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10.2003 द्वारा उर्दू अकादमी का गठन किया गया। अकादमी का कार्य छ.ग. में उर्दू भाषा, तालिम एवं उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयत्न करना, नए रचनात्मक/आलोचनात्मक उर्दू साहित्य प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन, परिचर्चा, गोष्ठियों, बीमार लेखकों को माली मदद करना आदि हैं। जनाब मो. अकरम कुरैशी अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हैं एवं 16 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 160.00 लाख प्रावधान है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 160.00 लाख आबंटन जारी किया जा चुका है।

## 11. वक्फ अधिकरण :-

वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ अधिकरण गठित है, पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना कर ली गई है। वक्फ अधिकरण द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पीठासीन अधिकारी के पद पर माननीय श्री प्रबोद टोप्पो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पदस्थ है एवं एक सदस्य का मनोनयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 78.20 लाख है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 37.01 लाख का आबंटन जारी किया जा चुका है।

## 12. विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण :-

छ.ग. राज्य में निवासरत् 05 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रदेश स्तर पर 6 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं 9 प्रकोष्ठ गठित है। अभिकरण स्तर पर गवर्निंग बाडी गठित है। जिसका अध्यक्ष संबंधित विशेष पिछड़ी जनजाति का सदस्य शासन द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा प्रदेश की बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया, कमार एवं बिरहोर जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। ये जनजातियाँ राज्य के रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, महासमुंद, गरियाबंद, राजनांदगांव, कांकेर, धमतरी, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, नारायणपुर जिलों में निवासरत है। राज्य शासन द्वारा घोषित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पंडो तथा भुंजिया के समग्र विकास हेतु क्रमशः पंडो विकास अभिकरण, जिला सूरजपुर तथा भुंजिया विकास अभिकरण जिला गरियाबंद में गठित है।

## 13. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षिणिक संस्थान समिति

भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से वर्तमान में प्रदेश में 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जिनके संचालन हेतु एक राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षिणिक संस्थान समिति गठित है। मान. विभागीय मंत्री इस समिति के संचालक मंडल के पदेन अध्यक्ष एवं आयुक्त आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग इसके पदेन सचिव होते हैं।

# महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **राज्य का क्षेत्रफल** | | 135192 वर्ग कि.मी. |
| | 1.1 | राज्य का अनुसूचित क्षेत्र | 81,861.88 वर्गकिमी. |
| | 1.2 | राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र | 88000 वर्गकिमी. |
| | 1.3 | राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत | 65.12 |
| 2. | **जनगणना (2011)** | | |
| | 2.1 | कुल जनसंख्या | 255.45 लाख |
| | 2.2 | अनुसूचित जनजाति | 78.22 लाख 30.62% |
| | 2.3 | अनुसूचित जाति | 32.47 लाख 12.81% |
| 3. | **(अ) साक्षरता का प्रतिशत (वर्ष 2011)** | | |
| | 3.1 | औसत | 70.28% |
| | 3.2 | पुरुष | 80.27% |
| | 3.3 | महिला | 60.24% |
| 3. | **(ब) अनुसूचित जनजाति की साक्षरता (वर्ष 2011)** | | |
| | 3.1 | औसत | 59.09 |
| | 3.2 | पुरुष | 69.67 |
| | 3.3 | महिला | 48.76 |
| 3. | **(स) अनुसूचित जाति की साक्षरता (वर्ष 2011)** | | |
| | 3.1 | औसत | 70.76 |
| | 3.2 | पुरुष | 81.66 |
| | 3.3 | महिला | 59.86 |
| 4. | **राजस्व जिला** | | 27 |
| | 4.1 | पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले<br>बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, सूरजपुर, बलरामपुर सरगुजा, कोरिया, कोरबा, जशपुर। | 13 |
| | 4.2 | आंशिक रूप से आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित क्षेत्र में शामिल शेष जिले गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम | 11 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | आदिवासी विकासखंड | 85 |
| 6. | एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना | 19 |
| 7 | माडा पाकेट | 09 |
| 8. | लघु अंचल | 02 |
| 9. | विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण | 06 |
| 10. | विशेष पिछड़ी जनजाति प्रकोष्ठ | 09 |

## छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-दो, अनुभाग-तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी वर्ष 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं।

### छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला (वर्तमान में सरगुजा, बलरामपुर व सूरजपुर जिला)
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला (वर्तमान में बस्तर, नारायणपुर व कोण्डागांव जिला)
4. दंतेवाड़ा जिला (वर्तमान में दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा जिला)
5. कांकेर जिला
6. कोरबा जिला
7. जशपुर जिला
8. बिलासपुर जिले के मरवाही, गौरेला-1 एवं गौरेला-2 आदिवासी विकास खण्ड सामुदायिक विकासखंड का कोटा राजस्व निरीक्षक खंड।
9. दुर्ग जिले (वर्तमान में बालोद जिला) में डौण्डी आदिवासी विकासखंड।
10. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला आदिवासी विकासखंड।
11. रायपुर जिले (वर्तमान में गरियाबंद जिला) में गरियाबंद, मैनपुर और छुरा आदिवासी विकास खंड।
12. धमतरी जिले में नगरी (सिहावा) आदिवासी विकासखंड।
13. रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया आदिवासी विकासखंड।

## प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

| क्र. | जिला | परियोजना | माडा | लघु अंचल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बस्तर | 1. जगदलपुर | | |
| 2. | कोण्डागांव | 2. कोण्डागांव | | |
| 3. | नारायणपुर | 3. नारायणपुर | | |
| 4. | कांकेर | 4. भानुप्रतापपुर | | |
| 5. | दन्तेवाड़ा | 5. दन्तेवाड़ा | | |
| 6. | सुकमा | 6. कोन्टा | | |
| 7. | बीजापुर | 7. बीजापुर | | |
| 8. | गरियाबन्द | 8. गरियाबन्द | | |
| 9. | बलौदाबाजार | | 1. बालौदाबाजार | 1. धुरीबंधा |
| 10. | धमतरी | 9. नगरी | 2. गंगरेल | |
| 11. | महासमुंद | | 3. महासमुंद-1 | |
| | | | 4. महासमुंद-2 | |
| 12. | बालोद | 10. डोण्डीलोहारा | | |
| 13. | राजनांदगांव | 11. राजनांदगांव | 5. नचनियां | 2. बछेराभाटा |
| 14. | कबीरधाम | | 6. कबीरधाम | |
| 15. | सरगुजा | 12. अंबिकापुर | | |
| 16. | सूरजपुर | 13. सूरजपुर | | |
| 17. | बलरामपुर | 14. पाल | | |
| 18. | कोरिया | 15. बैकुण्ठपुर | | |
| 19. | कोरबा | 16. कोरबा | | |
| 20. | बिलासपुर | 17. गौरेला | | |
| 21. | जांजगीर-चांपा | | 7. रूगजा | |
| 22. | रायगढ़ | 18. धरमजयगढ़ | 8. गोपालपुर,<br>9. सारंगढ़ | |
| 23. | जशपुर | 19. जशपुरनगर | | |

# भाग - दो

# विभागीय बजट

## विभागीय बजट (2015-2016)

| क्रमांक | योजना | बजट प्रावधान | व्यय | व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | आदिवासी उपयोजना | 246531.21 | 173125.53 | 70.22 |
| 2 | अनुसूचित जाति उपयोजना | 37651.70 | 20174.40 | 53.58 |
| 3 | अन्य पिछडा वर्ग | 23849.40 | 15786.66 | 66.19 |
| 4 | अन्यान्य बजट अनु0जनजाति | 156029.45 | 146106.00 | 93.64 |
| 5 | अन्यान्य बजट अनु0जाति | 3437.80 | 2690.61 | 78.27 |
| | **योग-** | **467499.56** | **357883.20** | **76.55** |

## विभागीय बजट (2016-2017)

| क्रमांक | योजना | बजट प्रावधान | व्यय | व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | आदिवासी उपयोजना | 125343.15 | 91403.51 | 72.92 |
| 2 | अनुसूचित जाति उपयोजना | 32967.07 | 25437.93 | 77.16 |
| 3 | अन्य पिछडा वर्ग | 21074.19 | 19425.72 | 92.18 |
| 4 | अन्यान्य बजट अनु0जनजाति | 31567.29 | 23851.56 | 75.56 |
| 5 | अन्यान्य बजट अनु0जाति | 3499.88 | 2806.11 | 80.18 |
| | **योग-** | **214451.58** | **162924.83** | **75.97** |

## विभागीय बजट (2017-2018) दिसम्बर 2017 की स्थिति में

| क्रमांक | योजना | बजट प्रावधान | व्यय | व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | आदिवासी उपयोजना | 141777.59 | 49235.89 | 34.73 |
| 2 | अनुसूचित जाति उपयोजना | 32752.77 | 10747.20 | 32.81 |
| 3 | अन्य पिछडा वर्ग | 15459.30 | 4786.78 | 30.96 |
| 4 | अन्यान्य बजट अनु0जनजाति | 12330.85 | 7118.49 | 57.73 |
| 5 | अन्यान्य बजट अनु0जाति | 150.20 | 102.49 | 68.24 |
| | **योग-** | **202470.71** | **71990.85** | **35.56** |

## (अ) राज्य योजनाएँ (अनुसूचित जनजाति)

(राशि लाखों में)

| क्रं. | योजना का नाम | वर्ष 2015-16 | | | | वर्ष 2016-17 | | | | वर्ष 2017-18 (माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | आश्रम शाला योजना | 17978.27 | 6238.46 | छात्र/छात्राएँ | 73387 | 20993.31 | 6588.61 | छात्र/छात्राएँ | 73823 | –– | 5676.19 | छात्र/छात्राएँ | 74686 |
| 2 | छात्रावास योजना | 18292.70 | 8827.27 | छात्र/छात्राएँ | 62205 | 21399.24 | 5448.98 | छात्र/छात्राएँ | 61427 | –– | 4648.64 | छात्र/छात्राएँ | 63246 |
| 3 | अशासकीय संस्थाओं को अनुदान | 7265.00 | 5019.62 | नियमित 30 एकमुश्त 135 | नियमित 30 एकमुश्त 135 | 1322.41 | 1322.40 | नियमित 11 संस्था | नियमित 11 संस्था | 1500.00 | 941.81 | नियमित 10 संस्था | नियमित 10 संस्था |
| 4 | विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन | 1216.45 | 1160.68 | छात्र/छात्राएँ | 5509 | 2423.55 | 1544.75 | छात्र/छात्राएँ | 5644 | 1004.50 | 757.486 | छात्र/छात्राएँ | 5953 |
| 5 | मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना | 925.00 | 692.99 | छात्र/छात्राएँ | 791 | 925.00 | 207.01 | छात्र/छात्राएँ | 741 | 1000.00 | 791.50 | छात्र/छात्राएँ | |
| 6 | छात्रावास/आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण | 18292.70 | 8827.27 | 200 कार्य | 110 कार्य | 10900.00 | 1276.05 | 476 कार्य | 34 कार्य | –– | –– | –– | |
| 7 | शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार एवं स्व. डॉ भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान | 7.50 | 4.50 | व्यक्ति/संस्था | 02 पुरस्कार | 9.00 | 4.50 | व्यक्ति/संस्था | 02 पुरस्कार | 9.00 | 5.00 | व्यक्ति/संस्था | 02 पुरस्कार |
| 8 | आदिवासी अन्वेषण संस्था | 746.00 | 419.25 | वेतन भत्ते | वेतन भत्ते | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | |
| 9 | छात्र भोजन सहाय योजना | 865.30 | 732.83 | छात्र/छात्राएँ | 13593 | 865.30 | 779.76 | छात्र/छात्राएँ | 14615 | 900.00 | 819.45 | छात्र/छात्राएँ | 16580 |
| 10 | कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना | 5.00 | 0.00 | –– | –– | 5.00 | 0.00 | –– | –– | यह योजना बंन्द हो गई है। | | | |
| 11 | विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना | 175.00 | 88.00 | छात्र/छात्राएँ | 31597 | 175.00 | 175.00 | छात्र/छात्राएँ | 27740 | 100.00 | 100.00 | छात्र/छात्राएँ | 30515 |
| 12 | खाघ सुरक्षा अधिनियम के अंर्तगत छात्रावासियों को खाद्यान्न | 2.00 | 0.00 | –– | –– | 1749.00 | 1749.00 | छात्र/छात्राएँ | 178190 | 1800.00 | 1800.00 | छात्र/छात्राएँ | 179197 |
| 13 | यूवा कैरियर निर्माण योजना | 370.30 | 262.37 | छात्र/छात्राएँ | 146 | 458.60 | 121.20 | छात्र/छात्राएँ | 215 | –– | –– | –– | |
| 14 | मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना | 999.30 | 710.52 | छात्र/छात्राएँ | 2076 | 1060.70 | 275.60 | छात्र/छात्राएँ | 2071 | 1516.90 | –– | छात्र/छात्राएँ | 2376 |
| 15 | आर्य भट्ट वाणिज्य/विज्ञान विकास केन्द्र | 112.00 | 99.00 | छात्राएँ | 329.00 | 125.00 | 101.00 | छात्राएँ | 384 | 198.00 | 78.86 | छात्र/छात्राएँ | |

## (अ) राज्य योजनाएँ (अनुसूचित जाति)

(राशि लाखों में)

| क्रं. | योजना का नाम | वर्ष 2015-16 | | | | वर्ष 2016-17 | | | | वर्ष 2017-18 (माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | आश्रम शाला योजना | 1495.89 | 794.83 | छात्र/छात्राएँ | 4428 | 1558.85 | 272.70 | छात्र/छात्राएँ | 3044 | -- | 235.73 | छात्र/छात्राएँ | 3150 |
| 2 | अशासकीय संस्थाओं को अनुदान | 560.00 | 794.83 | नियमित 03 एकमुश्त 31 | नियमित 03 एकमुश्त 31 | 123.56 | 123.56 | नियमित 01 संस्था | नियमित 01 संस्था | 125.00 | 95.90 | नियमित 01 संस्था | नियमित 01 संस्था |
| 3 | पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति | 2550.00 | 1544.77 | छात्र/छात्राएँ | 87144 | 2550.00 | 2550.00 | छात्र/छात्राएँ | 88875 | 2550.00 | 1785.00 | छात्र/छात्राएँ | स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 4 | विशेष शिक्षण केन्द्र टयूशन योजना | -- | -- | — | — | 50.00 | 50.00 | छात्र/छात्राएँ | 6042 | 50.00 | 50.00 | छात्र/छात्राएँ | 3375 |
| 5 | छात्रावास योजना | 6317.50 | 2871.75 | छात्र/छात्राएँ | 14459 | 7303.23 | 1322.54 | छात्र/छात्राएँ | 14190 | -- | 1093.40 | छात्र/छात्राएँ | 14475 |
| 6 | छात्र भोजन सहाय योजना | 269.00 | 124.60 | छात्र/छात्राएँ | 4336 | 269.00 | 244.27 | छात्र/छात्राएँ | 4640 | 282.00 | 243.50 | छात्र/छात्राएँ | 4851 |
| 7 | मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना | 320.00 | 280.25 | छात्र/छात्राएँ | 338 | 320.00 | 320.00 | छात्र/छात्राएँ | 320 | 400.00 | 386.57 | छात्र/छात्राएँ | 322 |
| 8 | खाघ सुरक्षा अधिनियम के अंर्तगत छात्रावासियों को खाद्यान्न | 1.00 | 0.00 | — | — | 249.00 | 249.00 | छात्र/छात्राएँ | 25241 | 261.00 | 261.00 | छात्र/छात्राएँ | 25757 |
| 9 | युवा कैरियर निर्माण योजना | 120.20 | 108.69 | छात्र/छात्राएँ | 105 | 161.90 | 161.90 | छात्र/छात्राएँ | 130 | — | -- | छात्र/छात्राएँ | -- |

## अन्य पिछडा वर्ग

(राशि लाखों में)

| क्रं. | योजना का नाम | वर्ष 2015-16 | | | | वर्ष 2016-17 | | | | वर्ष 2017-18 (माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 9000.00 | 8968.80 | छात्र/छात्राएँ | 246443.00 | 15000.00 | 15000.00 | छात्र/छात्राएँ | 267152 | 100000.00 | 7000.00 | छात्र/छात्राएँ | स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |

## (ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना

(राशि लाखों में)

| क्रं. | योजना का नाम | वर्ष 2015-16 | | | | | वर्ष 2016-17 | | | | | | वर्ष 2017-18 (माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | योजना का नाम | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | योजना का नाम | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | स्वरोजगार | 1600.00 | 1276.14 | 550.00 | हितग्राही | 5521 | विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनओं से स्थानीय विकास | 1600.00 | 1699.20 | 716.16 | हितग्राही | 2009 | –– | 2000.00 | 930.00 | –– | हितग्राही | –– |
| 2 | क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध राशि | 1890.00 | | 1890.00 | निर्माण कार्य | 419 | | 1890.00 | | 1860.00 | निर्माण कार्य | 468 | –– | 2000.00 | –– | 568.15 | निर्माण कार्य | 88 |
| 3 | नागरिक अधिकार एवं संरक्षण प्रकोष्ठ अंर्तगत प्रचार–प्रसार | 45.00 | 100.00 | 7.74 | –– | –– | अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना | 56.75 | 274.97 | 8.40 | –– | –– | | 46.80 | 507.12 | 2.24 | –– | –– |
| 4 | अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन | 24.00 | | 10.40 | शिविर | 19 | | 25.00 | | 11.10 | शिविर | 20 | | 25.00 | | 7.10 | शिविर | 13 |
| 5 | अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम पुनर्वास | 446.00 | | 141.45 | हितग्राही | 531 | | 445.00 | | 611.55 | हितग्राही | 745 | | 445.00 | | 377.57 | हितग्राही | 366 |
| 6 | अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना | 80.00 | | 84.45 | दंपत्ति | 170 | –– | 80.00 | | 69.25 | दंपत्ति | 142 | | 80.00 | | 57.80 | दंपत्ति | 85 |
| 7 | छात्रावास आश्रम भवन निर्माण (64) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | –– | –– | बाबू जगजीवन राव छात्रावास योजना | 150.00 | 0.00 | 0.00 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 8 | छात्रावास आश्रम भवन निर्माण (41/4202) एकीकृत अम्बेला योजना | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | –– | 15 कार्य (पूर्व वर्षो के अपूर्ण कार्य) | अंब्रेला योजना | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 9 | आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास | 1046.40 | 0.00 | 00.00 | –– | –– | आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास | 1.00 | 0.00 | 0.00 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 10 | छात्रावास भवन निर्माण (66/4225) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | –– | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 11 | अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति (प्री–मैट्रिक) | 900.00 | 0.00 | 0.00 | छात्र/छात्राएँ | –– | अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | छात्र/छात्राएँ | कार्यवाही प्रक्रियाधीन | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 12 | अल्पसंख्यक बहुउद्देशीय विकास | 1550.00 | 0.00 | 0.00 | –– | –– | –– | 1414.00 | 771.94 | 771.94 | जिला जशपुर | 75 ग्राम | | 1389.00 | –– | –– | –– | –– |
| 13 | प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना | 4100.00 | 2000.00 | 4100.00 | 100 ग्राम | 100 ग्राम | –– | 4100.00 | 2075.00 | 3650.00 | 75 ग्राम | 75 ग्राम | | 4100.00 | –– | –– | –– | –– |

## आदिवासी उपयोजना-बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

| आदिवासी उपयोजना | | |
|---|---|---|
| वर्ष | बजट प्रावधान | (राशि करोड़ में) |
| | | व्यय |
| 2015-16 | 2465.31 | 1731.25 |
| 2016-17 | 1253.43 | 914.03 |
| 2017-18 (माह दिसम्बर अंत तक) | 1417.77 | 492.36 |

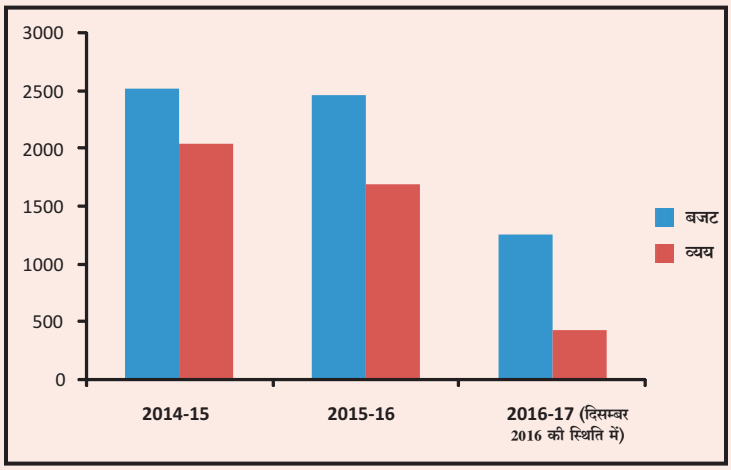


## अनुसूचित जाति उपयोजना-बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

| अनुसूचित जाति उपयोजना | | |
|---|---|---|
| वर्ष | बजट प्रावधान | (राशि करोड़ में) |
| | | व्यय |
| 2015-16 | 376.51 | 201.74 |
| 2016-17 | 329.67 | 254.38 |
| 2017-18 (माह दिसम्बर अंत तक) | 327.52 | 107.47 |

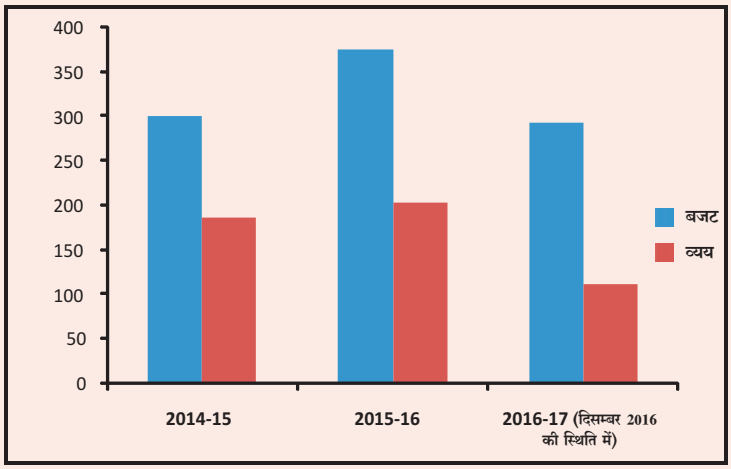

## (स) विशेष केन्द्रीय सहायता (आदिवासी उपयोजना)

(राशि लाखों में)

| क्रं. | योजना का नाम | वर्ष 2015-16 | | | | | वर्ष 2016-17 | | | | | वर्ष 2017-18 (माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम | 18020.49 | 10809.64 | 10601.89 | 3766 | 3658 | 17477.20 | 11717.82 | 7308.05 | 2063 | 1279 | 25208.66 | 10266.56 | -- | 286 | -- |

## विशेष केन्द्रीय सहायता (अनु. जाति उपयोजना)

(राशि लाखों में)

| क्रं. | योजना का नाम | वर्ष 2015-16 | | | | | वर्ष 2016-17 | | | | | वर्ष 2017-18 (माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | स्वरोजगार | 1600.00 | 1276.14 | 550.00 | हितग्राही | 5521 | 1600.00 | 1699.20 | 716.16 | हितग्राही | 2009 | 2000.00 | 930.00 | -- | हितग्राही | -- |
| 2 | क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध राशि | 1890.00 | | 1890.00 | निर्माण कार्य | 419 | 1890.00 | | 1860.00 | निर्माण कार्य | 468 | 2000.00 | | 568.15 | निर्माण कार्य | 88 |
| | | 3490.00 | | 2440.00 | | | 3490.00 | | 2576.16 | | | 4000.00 | | -- | -- | -- |

## केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

(राशि लाखों में)

| क्रं. | योजना का नाम | वर्ष 2015-16 | | | | | वर्ष 2016-17 | | | | | वर्ष 2017-18 (माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (अनु.ज.जा.) | 8500.00 | 6353.10 | 6353.10 | छात्र/छात्राएँ | 127729 | 4975.179 | 4975.179 | 4975.179 | छात्र/छात्राएँ | 132963 | 4400.00 | 4291.01 | 4291.01 | छात्र/छात्राएँ | कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 2 | पो.मै. छात्रवृत्ति (अ.जा.) | 2500.00 | 628.00 | 628.01 | छात्र/छात्राएँ | 87144 | 2615.42 | 190.00 | 190.00 | छात्र/छात्राएँ | 88875 | 2600.00 | 1434.77 | 1434.77 | छात्र/छात्राएँ | कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 3 | पो.मै. छात्रवृत्ति (अ.पि.वर्ग) | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | छात्र/छात्राएँ | 246443 | 2623.35 | 2623.35 | 2623.35 | छात्र/छात्राएँ | 267152 | 1766.00 | 1766.00 | 0.00 | छात्र/छात्राएँ | कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 4 | अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति | 600.00 | 0.00 | 0.00 | छात्र/छात्राएँ | — | 1.00 | 0.00 | 102.00 | छात्र/छात्राएँ | भा.स.से DBT से वितरित | — | — | — | छात्र/छात्राएँ | कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 5 | आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास | 180.00 | 119.80 | 119.80 | छात्र/छात्राएँ | — | — | — | — | छात्र/छात्राएँ | — | — | — | — | — | — |
| 6 | आदिवासी विशेष पिछड़े समूह | 2500.00 | 1809.63 | 1809.63 | 43 कार्य | — | 2750.00 | 1230.00 | 1230.00 | 21 कार्य | 21 कार्य | 2750.00 | 817.50 | 272.00 | 7 कार्य | — |
| 7 | वन बंधु कल्याण योजना | 2000.00 | 1384.50 | 0.00 | 6 कार्य | 0.00 | 2135.00 | — | — | — | — | 1278.28 | — | — | — | — |
| 8 | अनु. जाति छात्रों को प्रावीण्य में उन्नयन | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति | 215.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | 110.00 | छात्र/छात्राएँ | भा.स.से DBT से वितरित | — | — | — | — | कार्यवाही प्रक्रियाधीन |

## संविधान के अनुच्छेद 275(1) एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(राशि लाखों में)

| क्रं. | योजना का नाम | वर्ष 2015-16 | | | | | वर्ष 2016-17 | | | | | वर्ष 2017-18 (माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | आदिवासी विद्यालय समिति को अनुदान 275(1) | 3228.56 | 2409.70 | 1670.52 | 4181विद्यार्थी | | 3901.88 | 1611.91 | — | — | — | 4459.88 | 1756.02 | 1756.02 | — | — |
| 2 | आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 2758 (1) | 12298.69 | 9494.61 | 862.05 | 123 कार्य | | 11064.90 | 6447.92 | — | — | — | 14210.64 | 6492.90 | 6492.90 | — | — |
| 3 | छात्रावास/आश्रम | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 3500.00 | 3500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |

# भाग - तीन

# विभाग के द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ

- विभागीय छात्रावासों का संचालन
- विभागीय आश्रमों का संचालन
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
- अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति
- आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना
- छात्र भोजन सहाय योजना
- छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना
- स्वस्थ तन-स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना
- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना
- एकलव्य आवासीय विद्यालय/विशिष्ट विद्यालय
- क्रीड़ा परिसर
- अशासकीय संस्थाओं को अनुदान
- स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से अनुदान
- युवा कॅरियर निर्माण योजना
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की युवतियों/युवकों के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन सुविधा
- हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना
- अनु.ज.जा.एवं अनु.जा. के युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना
- रविदास चर्मशिल्प योजना
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 अंतर्गत राहत योजना
- आदिवासी/अनु.जाति राहत योजना
- मैनुअल स्केवेंजर्स एक्ट का क्रियान्वयन
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
- सम्मान एवं पुरस्कार
- लोककला महोत्सव
- आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना
- जनजातियों के पूजा स्थल (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास

# विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों की जानकारी

## शैक्षणिक सत्र 2017-18 की स्थिति में
## छात्रावास/आश्रम-समस्त वर्ग

| अनु. क्र. | वर्ग | छात्रावास/आश्रमों की संख्या | | | | स्वीकृत सीट्स |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्री. मैट्रिक | पोस्ट मैट्रिक | आश्रम | योग | |
| 1. | अनुसूचित जनजाति | 1288 | 301 | 1175 | 2764 | 164826 |
| 2. | अनुसूचित जाति | 341 | 90 | 51 | 482 | 25707 |
| 3. | अन्य पिछड़े वर्ग | 8 | 19 | 0 | 27 | 1450 |
| **योग** | | **1637** | **410** | **1226** | **3273** | **191983** |

## अनुसूचित जनजाति छात्रावास
### शैक्षणिक सत्र 2017-18

| अनु. क्र. | वर्ग | कुल संचालित छात्रावासों की संख्या | | | स्वीकृत सीट्स | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बालक | कन्या | योग | बालक | कन्या | योग |
| 1. | पोस्ट मैट्रिक | 147 | 154 | 301 | 9365 | 9030 | 18395 |
| 2. | प्री मैट्रिक | 885 | 403 | 1288 | 43933 | 22330 | 66263 |
| **योग** | | **1032** | **557** | **1589** | **53298** | **31360** | **84658** |

## अनुसूचित जाति छात्रावास
### शैक्षणिक सत्र 2017-18

| अनु. क्र. | वर्ग | कुल संचालित छात्रावासों की संख्या | | | स्वीकृत सीट्स | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बालक | कन्या | योग | बालक | कन्या | योग |
| 1. | पोस्ट मैट्रिक | 48 | 42 | 90 | 2650 | 2760 | 5410 |
| 2. | प्री मैट्रिक | 197 | 144 | 341 | 9076 | 7466 | 16542 |
| **योग** | | **245** | **186** | **431** | **11726** | **10226** | **21952** |

नोट :- प्री. मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रु. 900/- प्रतिमाह की दर से वर्ष 2017-18 से शिष्यवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है।

# अनुसूचित जनजाति आश्रम

## शैक्षणिक सत्र 2017-18

| अनु. क्र. | आश्रम का नाम | कुल संचालित आश्रमों की संख्या | | | स्वीकृत सीट्स | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बालक | कन्या | योग | बालक | कन्या | योग |
| 1. | माध्यमिक आश्रम | 33 | 50 | 83 | 3500 | 8160 | 11660 |
| 2. | प्राथमिक आश्रम | 681 | 411 | 1092 | 43758 | 24750 | 68508 |
| **योग** | | **714** | **461** | **1175** | **47258** | **32910** | **80168** |

# अनुसूचित जाति आश्रम

## शैक्षणिक सत्र 2017-18

| अनु. क्र. | आश्रम का नाम | कुल संचालित आश्रमों की संख्या | | | स्वीकृत सीट्स | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बालक | कन्या | योग | बालक | कन्या | योग |
| 1. | माध्यमिक आश्रम | 1 | 2 | 3 | 50 | 800 | 850 |
| 2. | प्राथमिक आश्रम | 25 | 23 | 48 | 1455 | 1450 | 2905 |
| **योग** | | **26** | **25** | **51** | **1505** | **2250** | **3755** |

# पिछड़ा वर्ग छात्रावास

## शैक्षणिक सत्र 2017-18

| अनु. क्र. | वर्ग | कुल संचालित छात्रावासों की संख्या | | | स्वीकृत सीट्स | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बालक | कन्या | योग | बालक | कन्या | योग |
| 1. | पोस्ट मैट्रिक | 08 | 11 | 19 | 400 | 650 | 1050 |
| 2. | प्री मैट्रिक | 03 | 05 | 08 | 150 | 250 | 400 |
| **योग** | | **11** | **16** | **27** | **550** | **900** | **1450** |

# भवन विहीन आश्रम/छात्रावास की संख्यात्मक जानकारी वर्ष 2017-18

## अनुसूचित जनजाति

| क्रमांक | संस्था का प्रकार | कन्या | बालक | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | आश्रम शाला | 46 | 137 | **183** |
| 02 | प्री.मै. छात्रावास | 63 | 165 | **228** |
| 03 | पो.मै. छात्रावास | 51 | 64 | **115** |
| **योग-** | | **160** | **366** | **526** |

## अनुसूचित जाति

| क्रमांक | संस्था का प्रकार | कन्या | बालक | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | आश्रम शाला | 06 | 02 | **08** |
| 02 | प्री.मै. छात्रावास | 33 | 30 | **63** |
| 03 | पो.मै. छात्रावास | 12 | 14 | **26** |
| **योग-** | | **51** | **46** | **97** |

## अन्य पिछड़ा वर्ग

| क्रमांक | संस्था का प्रकार | कन्या | बालक | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | पो.मै. छात्रावास | 04 | 04 | **08** |
| **योग-** | | **04** | **04** | **08** |

# विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी

### 1. शैक्षणिक गतिविधियाँ :-शिक्षा संबंधी सांख्यिकीय जानकारी

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की सांख्यिकीय जानकारी निम्नानुसार है :-

| संस्था का नाम | संख्या | प्रवेशित छात्र/छात्रा संख्या |
|---|---|---|
| गुरुकुल विद्यालय (आवासीय) | 01 | 218 |
| खेल परिसर (आवासीय) | 16 | 1437 |
| आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय | 25 | 315 |
| **कुल योग** | **42** | **6970** |

## ऑन-लाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है। छात्रवृत्ति का समय पर स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करने एवं इसके मॉनीटरिंग करने में विभाग को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों एवं पालकों को समय पर एवं सही छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतें आती रहती थी।

उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 2012-13 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटराइजेशन किया जाकर आनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाया गया है। इस हेतु विभागीय वेबसाइट : www.mpsc.mp.nic.in) तैयार किया गया है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन करके बायोडाटा की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल मे छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी और प्रतिवर्ष नये आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को 'शिक्षा संगी कार्ड' आबंटित किए गए थे। उक्त कार्ड में छात्रवृत्ति की राशि जमा होने की सूचना विद्यार्थियों को मोबाईल पर डै से दी जाती थी। उक्त कार्ड का वितरण शिक्षा-सत्र 2012-13 से 2014-15 तक किया गया था। उक्त कार्ड की आधार नंबर से सीडिंग संभव नहीं होने के कारण पर वर्ष 2015-16 से सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक एकाउंट में ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2013-14 में लगभग 4.21 लाख विद्यार्थियों को लगभग राशि रू. 182.18 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। वर्ष 2014-15 में 4.73 लाख विद्यार्थियों को लगभग 199.90 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2015 के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2015-16 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है। कक्षा 12वीं से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति संचालन का कार्य पूर्व की भांति विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में 4.61 लाख विद्यार्थियों को लगभग 205.24 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 में कुल 4.88 लाख विद्यार्थियों को लगभग राशि रूपये 253.38 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**विगत तीन वर्षों के छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान का रेखा चित्र प्रदर्शन निम्नानुसार है :-**

| SC Post Matric scholarship | | | ST Post Matric scholarship | | | OBC Post Matric scholarship | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Students | Amount (in lakhs) | Year | Students | Amount (in lakhs) | Year | Students | Amount (in lakhs) |
| 2014-15 | 88965 | 4933.79 | 2014-15 | 136542 | 6215.79 | 2014-15 | 247861 | 8820.48 |
| 2015-16 | 87144 | 5038.64 | 2015-16 | 127729 | 6203.10 | 2015-16 | 246443 | 9283.00 |
| 2016-17 | 88875 | 2740.00 | 2016-17 | 132963 | 4975.17 | 2016-17 | 267152 | 17623.35 |

## SC Post Matric Scholarship (Students)

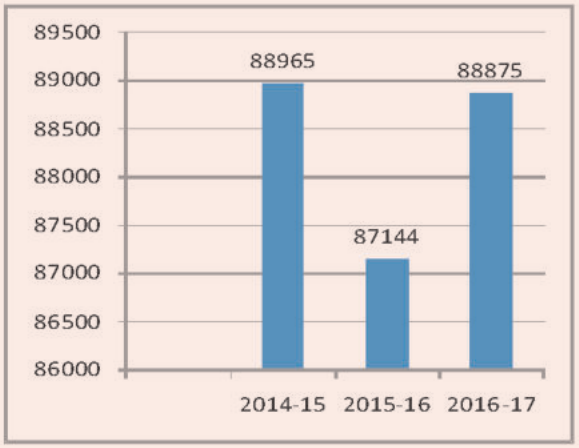


## SC Post Matric Scholarship (Amount in lakh)

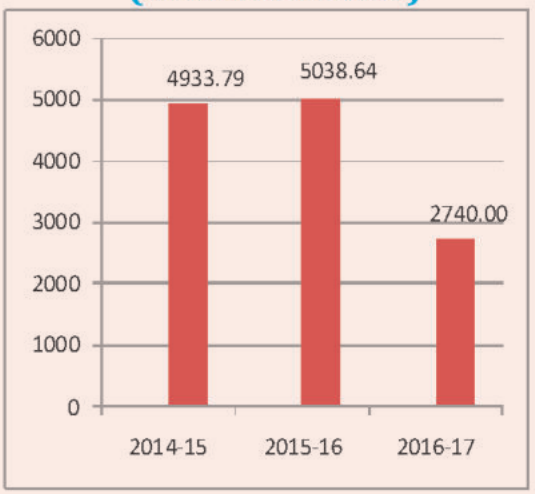


## ST Post Matric Scholarship (Students)

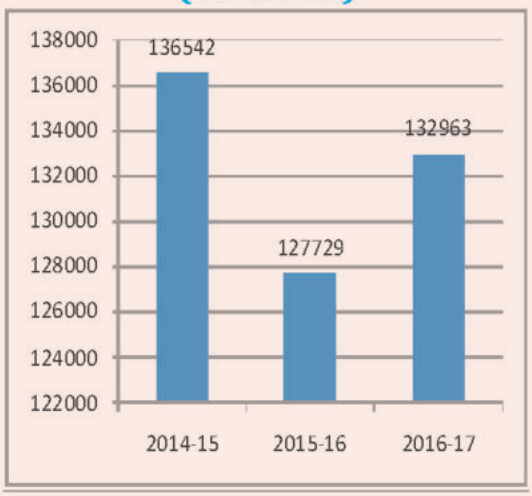


## ST Post Matric Scholarship (Amount in lakh)

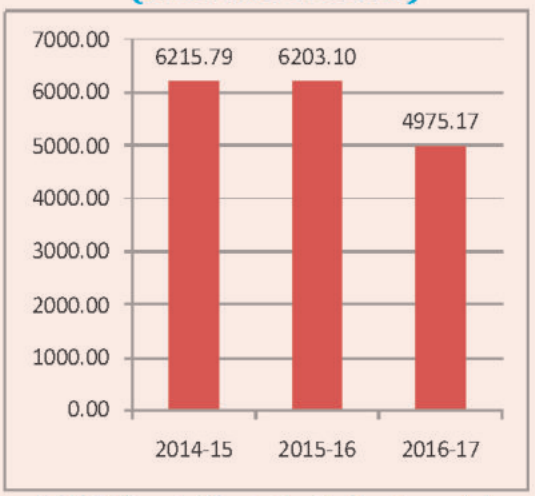


## OBC Post Matric Scholarship (Students)

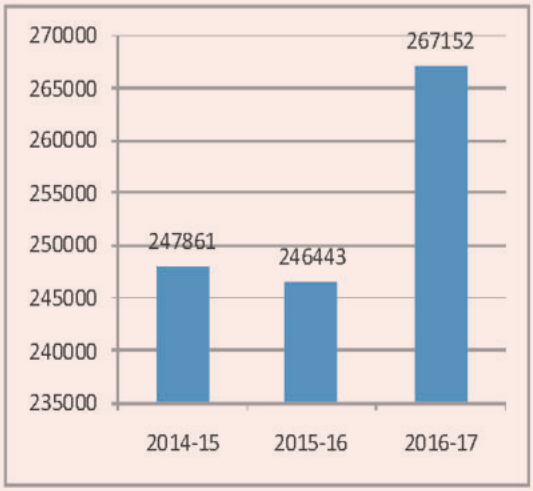


## OBC Post Matric Scholarship (Amount in lakh)

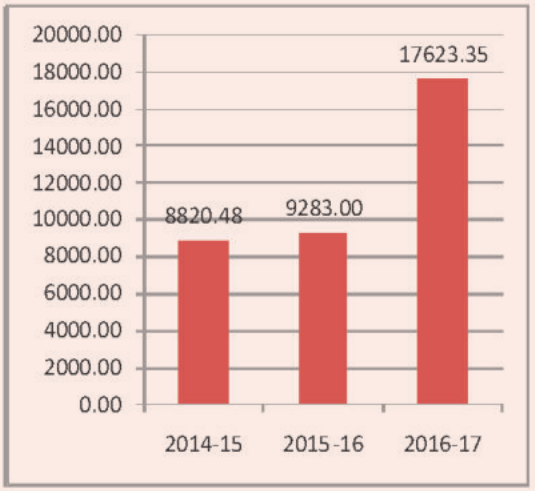

## पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनु.जा. एवं अ.ज.जा.)

- आय-सीमा- रू. 2.50 लाख तक वार्षिक।
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू हैं :-

| समूह | छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अनुसूचित जनजाति | | अनुसूचित जाति | |
| | छात्रावासी | दिवा छात्र | छात्रावासी | दिवा छात्र |
| **समूह - 1 -**<br>(i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा-एम.फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु- चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान।<br>(ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम<br>(iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम<br>(iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम<br>(v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा- डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि<br>(vi) एल.एल.एम. | 1200 | 550 | 1200 | 550 |

| समूह | छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अनुसूचित जनजाति | | अनुसूचित जाति | |
| | छात्रावासी | दिवा छात्र | छात्रावासी | दिवा छात्र |
| **समूह - 2 -**<br>(i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे- फार्मेसी (बी.फार्मा), नर्सिग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे- रिहायबिलिटेशन, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रंबधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रैवल/टूरिज्म/ हॉस्पिटायलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज- सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्शियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे-बैंकिंग, इंश्योरेंस इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो।<br>(ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 में शामिल न हो जैसे- एम.ए., एम.एस.सी., एम. कॉम, एम.एड इत्यादि | 820 | 530 | 820 | 530 |
| **समूह - 3 -** स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे-बी.ए., बी.एस.सी.,बी.कॉम.,बी.एड इत्यादि | 570 | 300 | 570 | 300 |
| **समूह - 4 -** सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम | 380 | 230 | 380 | 230 |

## पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

- आय-सीमा- रू. 1,00,000/- तक वार्षिक।
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है :-

| समूह | छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | अध्ययन का वर्ष | छात्रावासी | | गैर छात्रावासी | |
| | | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा |
| अ-मेडिकल तथा इंजीनियरिंग | प्रथम वर्ष | 210 | 220 | 100 | 100 |
| | द्वितीय वर्ष | 210 | 255 | 100 | 115 |
| बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि) | प्रथम वर्ष | 185 | 195 | 100 | 110 |
| | द्वितीय वर्ष | 185 | 200 | 100 | 115 |
| आ-डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस | प्रथम वर्ष | 130 | 135 | 100 | 110 |
| | द्वितीय वर्ष | 130 | 135 | 100 | 110 |
| इ-सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स | प्रथम वर्ष | 125 | 135 | 100 | 110 |
| ई-सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष | प्रथम वर्ष | 100 | 110 | 55 | 70 |
| | द्वितीय वर्ष | 115 | 130 | 70 | 85 |
| स-कक्षा-11 वीं | | 100 | 110 | 50 | 60 |
| कक्षा-12 वीं | | 100 | 110 | 55 | 70 |

## अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदाय) के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के लिए पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाएं प्रारंभ है :-

1. मैट्रिक पूर्व (प्री0 मैट्रिक) छात्रवृत्ति
2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति
3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना के तहत् राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के लाभान्वितों की संख्या नियत की जाती है। नियत संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धनता सह प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाता है। कुल देय छात्रवृत्तियों का न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्राओं को देय होता है, परन्तु वांछित संख्या तक छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाती है।

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग पर है। लक्ष्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नवीनीकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

## 1. मैट्रिक पूर्व (प्री0 मैट्रिक) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2008-09 से प्रारंभ की गई है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1ली से 10वीं तक के उन विद्यार्थियों को प्राप्त होती है, जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ-साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत है। इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि वहन की जाती है।

प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :-

| क्रमांक | विवरण | | छात्रावासी | दिवा स्कालर (गैर छात्रावासी) | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कक्षा 1ली से 5वीं तक (भरण-पोषण भत्ता) | | - | 100/- प्रतिमाह | अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो। |
| 2 | कक्षा 6वीं से 10वीं तक | प्रवेश शुल्क | 500/- प्रतिवर्ष | 500/- प्रतिवर्ष | |
| | | शिक्षण शुल्क | 350/- प्रतिमाह | 350/- प्रतिमाह | |
| | | भरण पोषण भत्ता | 600/- प्रतिमाह | 100/- प्रतिमाह | |

### पात्रता :-

1. पिछली वार्षिक परीक्षा में (कक्षा 1ली को छोड़कर) 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त होने पर।
2. पालक की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक न होने की स्थिति में।
3. बैंक में खाता हो।

### उपबंध :-

1. यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जाती है।
2. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित है।

### आवेदन, चयन एवं वितरण की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा "आनलाईन" आवेदन किया जाकर forward किया जाता है तत्पश्चात् संस्था द्वारा जिला कार्यालय को एवं जिला कार्यालय के द्वारा राज्य कार्यालय को और इसी प्रकार राज्य कार्यालय के द्वारा भारत सरकार को forward किया जाता है। इस वर्ष से छात्रवृत्ति की राशि भारत सरकार के द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खाते में सीधे जमा कर दिया जाएगा।

## वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

| वर्ष | लक्ष्य/ उपलब्धि | | मुस्लिम | ईसाई | सिक्ख | बौद्ध | जैन | पारसी | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | लक्ष्य (नवीन) | | 6345 | 6212 | 1078 | 1011 | 869 | 14 | 15529 |
| | उपलब्धि | नवीन | भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा 7210 विद्यार्थियों को राशि रूपये 157.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी के माध्यम से वितरीत की गई है। | | | | | | |
| | | नवीनीकरण | | | | | | | |
| | | योग | | | | | | | |
| 2017-18 | लक्ष्य (नवीन) | | 6345 | 6212 | 1078 | 1011 | 869 | 14 | 15529 |
| | उपलब्धि | नवीन | कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। | | | | | | |
| | | नवीनीकरण | | | | | | | |
| | | योग | | | | | | | |

## 2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम. फिल एवं पी.एच.डी में अध्ययनरत्/शोधरत विद्यार्थियों को जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ-साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है, प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :-

| क्रं. | विवरण | छात्रावासी | दिवा स्कालर | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं | 7,000/- प्रतिवर्ष | 7,000/- प्रतिवर्ष | अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो |
| 2 | प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम | 10,000/- प्रतिवर्ष | 10,000/- प्रतिवर्ष | |
| 3 | प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क स्नातक एवं स्नाकोत्तर | 3,000/- प्रतिवर्ष | 3,000/- प्रतिवर्ष | |
| 4 | अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)<br>1. कक्षा 11वीं से 12वीं एवं इस स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम | 380/- प्रतिमाह | 230/- प्रतिमाह | |
| | 2. स्नातक एवं स्नाकोत्तर (तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर) | 570/- प्रतिमाह | 300/- प्रतिमाह | |
| | 3. एम.फिल. और पी.एच.डी. | 1200/- प्रतिमाह | 550/- प्रतिमाह | |

## पात्रता :-

1. जिन्होनें पिछली वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हों।
2. जिनके पालक की सभी स्रोतों से आय रूपये 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
3. बैंक में खाता हो।

## उपबंध :-

1 यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जा सकेगी।

2 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।

4. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
5. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं निर्धारित वार्षिक आय पर किया जावेगा।
6. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

## आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार के वेबसाइट www.scholarships.gov.in में छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जाता है जो शैक्षणिक संस्था के माध्यम से राज्य शासन व केन्द्र शासन को फारवर्ड किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

## वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

<table>
<tr><th>वर्ष</th><th colspan="2">लक्ष्य/<br>उपलब्धि</th><th>मुस्लिम</th><th>ईसाई</th><th>सिक्ख</th><th>बौद्ध</th><th>जैन</th><th>पारसी</th><th>योग</th></tr>
<tr><td rowspan="4">2016-17</td><td colspan="2">लक्ष्य (नवीन)</td><td>1058</td><td>1035</td><td>180</td><td>169</td><td>145</td><td>02</td><td>2589</td></tr>
<tr><td rowspan="3">उपलब्धि</td><td>नवीन</td><td colspan="7" rowspan="3">भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा 1880 विद्यार्थियों को राशि रूपये 102.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी के माध्यम से वितरीत की गई है।</td></tr>
<tr><td>नवीनीकरण</td></tr>
<tr><td>योग</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2017-18</td><td colspan="2">लक्ष्य (नवीन)</td><td>1058</td><td>1035</td><td>180</td><td>169</td><td>145</td><td>02</td><td>2589</td></tr>
<tr><td rowspan="3">उपलब्धि</td><td>नवीन</td><td colspan="7" rowspan="3">कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>नवीनीकरण</td></tr>
<tr><td>योग</td></tr>
</table>

## 3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है। छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों (जैसे बीई, एमई, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीए, एलएलबी इत्यादि शामिल हैं, इसकी विस्तृत सूची भारत सरकार के वेबसाईट एवं tribal.cg.gov.in पर देखी जा सकती है।), में भारत के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा सूचित संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को दी जाती है :-

| क्रमांक | विवरण | छात्रावासी | दिवा स्कालर |
|---|---|---|---|
| 1 | अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु) | रू. 1000/- प्रतिमाह की दर से कुल रू. 10,000/- | रू. 500/- प्रतिमाह की दर से कुल 5,000/- |
| 2 | पाठ्यक्रम शुल्क | रू. 20,000/- प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो। | रू. 20,000/- वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो |

### पात्रता :-

1. यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जावेगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यवसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य के आधार पर हुआ है।
2. यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है तो वे भी छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनके हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या इससे अधिक हों।
3. जिनके पालक की सभी स्रोतों से आय रूपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
4. बैंक में खाता होना आवश्यक है।

### उपबंध :-

1. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।
2. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
3. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना, पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

### आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार के वेबसाइट www.scholarships.gov.in में छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जाता है जो शैक्षणिक संस्था के माध्यम से राज्य शासन व केन्द्र शासन को फारवर्ड किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

## वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

| वर्ष | लक्ष्य/ उपलब्धि | | मुस्लिम | ईसाई | सिक्ख | बौद्ध | जैन | पारसी | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | लक्ष्य (नवीन) | | 127 | 124 | 22 | 20 | 17 | 00 | 310 |
| | उपलब्धि | नवीन | भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा 1880 विद्यार्थियों को राशि रूपये 102.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी के माध्यम से वितरीत की गई है। | | | | | | |
| | | नवीनीकरण | | | | | | | |
| | | योग | | | | | | | |
| 2017-18 | लक्ष्य (नवीन) | | 127 | 124 | 22 | 20 | 17 | | 310 |
| | उपलब्धि | नवीन | कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। | | | | | | |
| | | नवीनीकरण | | | | | | | |
| | | योग | | | | | | | |

### आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना :-

शिक्षा के क्षेत्र उत्कृष्ठ मानदंड स्थापित करने वाले प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों एवं समकक्ष संस्थाओं में महंगी फीस के कारण प्रतिभावन गरीब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र उक्त विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाते है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6वीं में 100 अनुसूचित जनजाति एवं 50 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष राज्य के उत्कृष्ठ पब्लिक स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है। वर्ष 2017-18 में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 175 तथा नवीनीकरण के तहत विद्यार्थियों की संख्या 824 है। इस हेतु कुल बजट प्रावधान 1400.00 लाख का है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना विगत तीन वर्षो की जानकारी

| क्रं. | वर्ष | बजट प्रावधान राशि लाख में | विद्यार्थियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | नवीन प्रवेशित | नवीनीकरण | योग |
| 1 | 2013-14 | 1011.74 | 145 | 986 | 1186 |
| 2 | 2014-15 | 1220.00 | 186 | 1059 | 1059 |
| 3 | 2015-16 | 1245.00 | 82 | 1086 | 1168 |
| 4 | 2016-17 | 1245.00 | 244 | 719 | 963 |
| 5 | 2017-18 | 1400.00 | 175 | 824 | 999 |

### छात्र भोजन सहाय योजना :-

- भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रों को छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनसे छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों के बढ़ते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदाय करने के लिए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005-06 से प्रारंभ की गई है । अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गई है।

- इसके अंतर्गत वर्ष 2015-16 में प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 500/- रूपए उपलब्ध कराया जाता है। यह राशि पूर्व से प्राप्त हो रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है।
- योजना के तहत् वर्ष 2017-18 के लिए बजट प्रावधान एवं लक्ष्य की जानकारी निम्नानुसार है :-

| वर्ग | प्रावधान | भौतिक लक्ष्य |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 282.00 | 5410 |
| अनुसूचित जनजाति | 900.00 | 18395 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 55.00 | 1050 |
| **योग -** | **1237.00** | **24855** |

## छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना :-

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है, जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत् विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं, फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है। इस योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एव उपचारात्मक विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे- गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सके, विशेष शिक्षण प्रदान करने हेतु 146 विकासखंडो पर विशेष शिक्षण केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2017-18 में इस हेतु 150.00 लाख प्रावधानित है । इससे लगभग 38500 विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।

## स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना :-

इस योजना अंतर्गत विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है इसके अंतर्गत अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा माह में दो बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। वर्ष 2017-18 में लगभग 86000 छात्र-छात्राएं लाभांवित हो रहे हैं।

## एकलव्य आवासीय विद्यालय :-

राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त राशि से यह योजना संचालित हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो, इस हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए है। इन विद्यालयों में वर्तमान में छ.ग. बोर्ड के पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कराया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 2226.84 लाख का बजट प्रावधान हैं।

वर्तमान में 02 कन्या तथा 06 बालक एवं 17 संयुक्त इस प्रकार कुल 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रदेश के जिला जिला-सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, रायगढ़, कांकेर, कबीरधाम, बस्तर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कोरिया, बीजापुर, कोरबा, बिलासपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलरामपुर, सुकमा, बालोद, बलौदाबाजार, महासमुंद, मुंगेली एवं जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में संचालित किए जा रहे है। इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। वर्तमान में कुल 5315 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

| क्रं. | संस्था का नाम | प्रारंभ वर्ष | स्वीकृत शीट | भरे सीट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एकलव्य आवासीय विद्यालय करपावण्ड, बस्तर | 2005-06 | 420 | 368 |
| 2 | एकलव्य आवासीय विद्यालय अंतागढ़, जिला- कांकेर | 2005-06 | 420 | 395 |
| 3 | एकलव्य आवासीय विद्यालय मैनपाट, जिला- सरगुजा | 2005-06 | 420 | 329 |
| 4 | एकलव्य आवासीय विद्यालय शिवप्रसाद नगर, जिला-सूरजपुर | 2005-06 | 420 | 383 |
| 5 | एकलव्य आवासीय विद्यालय छोटे मुड़पार रायगढ़, जिला-रायगढ़ | 2005-06 | 420 | 370 |
| 6 | एकलव्य आवासीय विद्यालय तरेगांव जंगल, जिला- कबीरधाम | 2005-06 | 420 | 362 |
| 7 | एकलव्य आवासीय विद्यालय सन्ना जिला- जशपुर | 2005-06 | 420 | 408 |
| 8 | एकलव्य आवासीय विद्यालय कटेकल्याण, जिला- दंतेवाड़ा | 2005-06 | 420 | 362 |
| 9 | संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय पेण्ड्री, जिला- राजनांदगांव | 2011-12 | 420 | 391 |
| 10 | संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय खड़गवां, जिला-कोरिया | 2012-13 | 360 | 325 |
| 11 | संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय भैरमगढ़, जिला- बीजापुर | 2013-14 | 300 | 284 |
| 12 | एकलव्य आवासीय विद्यालय कटघोरा, जिला-कोरबा | 2013-14 | 360 | 320 |
| 13 | एकलव्य आवासीय विद्यालय बेसोली (भानपुरी) जिला-बस्तर | 2015-16 | 180 | 179 |
| 14 | एकलव्य आवासीय विद्यालय नारायणपुर, जिला- नारायणपुर | 2016-17 | 120 | 108 |
| 15 | एकलव्य आवासीय विद्यालय मरवाही, जिला-बिलासपुर | 2016-17 | 120 | 119 |
| 16 | एकलव्य आवासीय विद्यालय मर्दापाल, जिला-कोण्ड़ागांव | 2016-17 | 120 | 93 |
| 17 | संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय, डोंगरी, जिला-गरियाबंद, | 2017-18 | 60 | 60 |
| 18 | संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय, पथरीडीह, जिला-धमतरी | 2017-18 | 60 | 60 |
| 19 | संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय, भिलवाडीह, जिला-बलरामपुर | 2017-18 | 60 | 60 |
| 20 | संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय, सुकमा, जिला-सुकमा | 2017-18 | 60 | 55 |
| 21 | संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय, झरनदल्ली, जिला-बालोद | 2017-18 | 60 | 60 |
| 22 | संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय, सोनाखान, जिला-बलौदाबाजार | 2017-18 | 60 | 60 |
| 23 | संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय, महासमुन्द, जिला-महासमुन्द | 2017-18 | 60 | 60 |
| 24 | संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय, मुंगेली, जिला-मुंगेली | 2017-18 | 60 | 60 |
| 25 | संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय, जॉजगीर-चॉपा, जिला-जॉजगीर | 2017-18 | 60 | 44 |
| | **योग** | | **5880** | **5315** |

**शिक्षण सत्र 2016-17 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम**

| कक्षा | दर्ज | परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी | प्रथम श्रेणी | द्वितीय श्रेणी | तृतीय | उत्तीर्ण का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10वीं | 492 | 484 | 337 | 110 | 19 | 96.3% |
| 12वीं | 334 | 332 | 175 | 130 | 21 | 98% |

## क्रीड़ा परिसर

छततीसगढ़ राज्य के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्तमान में 16 क्रीड़ा परिसर संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें प्रति क्रीड़ा परिसर 100 सीट के मान से कुल 1600 सीट स्वीकृत है तथा वर्ष 2017-18 में 1437 छात्र-छात्राएं क्रीड़ा परिसरों में प्रवेशित हैं। ये क्रीड़ा परिसर उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के साथ संबद्ध है। इन संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करते हुए निरन्तर अध्ययनशील हैं।

क्रीड़ा परिसर के खिलाड़ियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा, मेस, पोषण-आहार, ट्रेकसूट, खेल पोषाक जूते सहित एवं खेल सामग्री विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन तथा राज्य/राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में भाग लेने हेतु राशि भी प्रदान की जाती है।

वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक राष्ट्रीय स्तर पर 104 तथा राज्य स्तर पर 2575 कुल 2679 पदक क्रीड़ा परिसरों के खिलाड़ियों ने प्राप्त किये हैं। क्रीड़ा परिसरों का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रमांक | क्रीड़ा परिसर का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | आदिवासी कन्या क्रीड़ा परिसर, अम्बिकापुर |
| 2. | आदिवासी कन्या क्रीड़ा परिसर, धर्मजयगढ़ |
| 3. | आदिवासी कन्या क्रीड़ा परिसर, जशपुर |
| 4. | आदिवासी कन्या क्रीड़ा परिसर, अम्बागढ़ चौकी (राजनांदगांव) |
| 5. | आदिवासी कन्या क्रीड़ा परिसर, कांकेर |
| 6. | आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, पेंड्रा रोड (बिलासपुर) |
| 7. | आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, डौंडी (बालोद) |
| 8. | आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, मनेन्द्रगढ़ (कोरिया) |
| 9. | आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, गरियाबंद |
| 10. | आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, नारायणपुर |
| 11. | आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, बलरामपुर |
| 12. | आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, धरमपुरा (जगदलपुर) |
| 13. | आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, जशपुर |
| 14. | अनुसूचित जाति कन्या क्रीड़ा परिसर, हसौद (जांजगीर-चांपा) |
| 15. | आदिवासी कन्या क्रीड़ा परिसर, जगदलपुर |
| 16. | अनुसूचित जाति बालक क्रीड़ा परिसर, मुंगेली |

## विशिष्ट उपलब्धि

हाल ही में रतनागिरी (महाराष्ट्र) में आयोजित 63वें राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2018 में धरमपुरा बालक क्रीड़ा परिसर के कक्षा आठवीं के छात्र पदम कुमार ने मिनी वर्ग (14 वर्ष से कम) में 80 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इनके कोच श्री अजय मूर्ति, धरमपुरा क्रीड़ा परिसर में पदस्थ हैं।

## अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :-

➢ अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हितार्थ कार्य कर रही अशासकीय संस्थाओं को विभागीय अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 में प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिया जाता है। इस हेतु वर्ष 2017-18 में प्रावधान निम्नानुसार है :-

| अनुदान प्राप्त संस्थाएँ | प्रावधान (लाखों में) | जारी आबंटन (लाखों में) |
|---|---|---|
| अशासकीय संस्थाओं को अनुदान | 2800.00 | 2004.10 |

## स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से अनुदान :-

- भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार राज्य में, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण/उत्थान हेतु संचालित प्रवृत्तियों/गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) के प्रस्ताव शासन स्तर पर गठित स्वैच्छिक संगठनों के सहायतार्थ राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पश्चात् वर्ष 2016-17 में भारत सरकार को अनुदान स्वीकृति कि लिए प्रेषित प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है :-

## भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित अनुसूचित जनजाति संवर्ग के प्रस्ताव

| क्रमांक | अनुदान हेतु संस्थाएँ | स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि |
|---|---|---|
| 1 | 06 संस्थाओं के नवीनीकरण प्रस्ताव | 1,66,03,838/- |

## नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन सुविधा योजना -

यह योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गयी हैं। योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 155 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों को नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा दिये जाने का लक्ष्य हैं वर्ष 2017-18 में योजनांतर्गत अनुसूचित जाति मद में राशि रू. 460.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति मद में राशि रू. 759.00 लाख का बजट प्रावधान है। योजनांतर्गत योजना प्रारंभ से अब तक लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार हैं :-

| क्रं. | वर्ष | वर्गवार विद्यार्थियों की संख्या | | योग |
|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |
| 1 | 2009-10 | 102 | 115 | 217 |
| 2 | 2010-11 | 155 | 244 | 399 |
| 3 | 2011-12 | 155 | 245 | 400 |
| 4 | 2012-13 | 155 | 245 | 400 |
| 5 | 2013-14 | 86 | 136 | 222 |
| 6 | 2014-15 | 128 | 214 | 342 |
| 7 | 2015-16 | 84 | 161 | 245 |
| 8 | 2016-17 | 88 | 122 | 210 |
| | **योग** | **953** | **1482** | **2435** |

जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के 199 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 292 इस प्रकार कुल 491 अभ्यर्थी शासकीय अथवा निजी स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत् है।

## हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट -

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्र/छात्राओं को एयर होस्टेस, एविएशन, हॉस्पिटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006-07 से प्रारंभ की गयी है। वर्ष 2013-14 में योजना में संशोधन किया गया हैं, जिसके तहत् ''हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट'' में डिप्लोमा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में

अनुसूचित जाति मद में राशि रू0 53.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति मद में राशि रू. 53.00 लाख का बजट प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्ष 2013-114 से वर्ष 2017-18 तक लाभान्वित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या निम्नानुसार हैं :-

| क्रं. | वर्ष | वर्गवार विद्यार्थियों की संख्या | | योग |
|---|---|---|---|---|
| | | अजा | अजजा | |
| 1 | 2013-14 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | 2014-15 | 43 | 17 | 60 |
| 3 | 2015-16 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2016-17 | 49 | 50 | 99 |
| 5 | 2017-18 | 51 | 25 | 76 |
| | **योग** | **153** | **102** | **255** |

प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थियों में से कुल 108 अभ्यर्थियों को जॉब प्लेसमेंट दिया जा चुका है।

## निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना -

योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु यह योजना वर्ष 2008-09 से प्रारंभ की गयी है। वर्ष 2017-18 में योजनांतर्गत अनुसूचित जाति मद में राशि रू. 10.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति मद में राशि रू. 10.00 लाख का बजट प्रावधान है। उपरोक्त बजट प्रावधान से अनुसूचित जाति वर्ग के 66 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 66 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने का लक्ष्य है। योजनांतर्गत अब तक लाभान्वित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार हैं :-

| क्रं. | वर्ष | वर्गवार विद्यार्थियों की संख्या | | योग |
|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |
| 1 | 2009-10 | 110 | 158 | 268 |
| 2 | 2010-11 | 133 | 200 | 333 |
| 3 | 2011-12 | 133 | 300 | 433 |
| 4 | 2012-13 | 155 | 345 | 500 |
| 5 | 2013-14 | 33 | 33 | 66 |
| 6 | 2004-15 | 06 | 06 | 12 |
| 7 | 2015-16 | 33 | 33 | 66 |
| 8 | 2016-17 | 66 | 66 | 132 |
| 9 | 2017-18 | 66 | 66 | 132 |
| | **योग** | **735** | **1207** | **1942** |

## रविदास चर्मशिल्प योजना :-

प्रदेश के चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2008-09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारंभ की गयी है। इसके तहत् अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है। योजनांतर्गत योजना प्रारंभ से वित्तीय वर्ष 2017-18 तक कुल राशि रू. 243.00 लाख आबंटन जिलों को उपलब्ध कराया गया है। जिलों द्वारा निविदा आमंत्रित कर मोची पेटी औजार सहित क्रय कर लगभग 4850 हितग्राहियों को वितरण किया जा चुका है।

## अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अन्तर्गत राहत योजना :-

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार अपराध करने का निवारण के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास से संबंधित विषयों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 लागू किया गया है।

छ.ग. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 संशोधित नियम 24 अगस्त 2016 के द्वारा नियम 7 राहत एवं सहायता 12(4) के अंतर्गत देय राहत राशि इस प्रकार है :-

| क्रं. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| 1. | अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना (अधिनियम की धारा 3(1)(क) | पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाए :<br>(i) क्रम संख्या (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्या (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>(ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है, तब 50 प्रतिशत।<br>(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत। |
| 2. | मल-मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ख) | |
| 3. | क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ग) | |
| 4. | जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना (अधिनियम की धारा 3 (1)(घ) | |
| 5. | बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड.) | |
| 6. | भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती | पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। जहां आवश्यक हो वहां |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च)<br>भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च.) | संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 8. | बेगार यो अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम (अधिनियम की धारा 3(1)(ज) | पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 9. | मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना (अधिनियम की धारा 3(1)(झ.) | |
| 10. | अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए | |
| 11. | उसे नियोजित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)<br>अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने (अधिनियम की धारा 3(1)(ट) | |
| 12. | मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ठ) | पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 13. | पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड) | |
| 14. | मतदान के पश्चात हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण (अधिनियम की | |

| | | |
|---|---|---|
| | धारा 3 (1)(ढ़) | |
| 15. | किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना (अधिनियम की धारा 3 (1)(ण) | |
| 16. | मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाइयां संस्थित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(त) | पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 17. | किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना (अधिनियम की धारा 3(1)(थ) | पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 18. | लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास (अधिनियम की धारा 3(1)(द) | पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। |
| 19. | लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौच करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ध) | |

| | | |
|---|---|---|
| 20. | धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना (अधिनियम की धारा 3(1)(न) | (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 21. | शत्रुता, घृणा से वैमनस्य की भावनाओं में अभिवृद्धि करना (अधिनियम की धारा 3(1)(प) | |
| 22. | अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(फ) | |
| 23. | किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना (अधिनियम की धारा 3 (1)(ब) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 24. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक) | (क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए।<br>(ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है चार लाख पंद्रह हजार रूपए।<br>(ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रूपए।<br>इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| | | मद (क) से (ग) के निबंधानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत।<br>(ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत। |
| 25. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 (1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत। |
| 26. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 (1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड (अधिनियम की अनुसूची क साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत।<br>(iii) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत। |
| 27. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत। |

| | | |
|---|---|---|
| 28. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत। |
| 29. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354घ (1860 का 45) पीछा करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत। |
| 30. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के के पश्चात 50 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 31. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत।<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर |

| | | |
|---|---|---|
| | | 25 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत। |
| 32. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 509 (1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 33. | जल को दूषित या गंदा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(भ) | सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक अस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए। |
| 34. | लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढिजन्य अधिकार से इन्कार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना (अधिनियम की धारा 3 (1)(म) | संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>(iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |

| | | |
|---|---|---|
| 35. | गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(य) | संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 36. | निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो बाधा डालना या निवारित करना –<br>(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)<br>(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या | (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपए की राहत, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।<br>(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ) | बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| | (इ) | किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना। (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ) | (इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| | (ई) | किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी | (ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में |

| | | |
|---|---|---|
| | सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के खूलक लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। (अधिनियम की धारा 3(1) (यक)(ई) | प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| | (उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारोबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। (अधिनियम की धारा 3(1) (यक)(उ) | (उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने की या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| 37. | डायन होने या जादू-टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(यख) | पीड़ित को एक लाख रूपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय।<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। |

| | | |
|---|---|---|
| | | (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| 38. | सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना (अधिनियम की धारा3(1)(यग) | संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूए का अनुतोष जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा। |
| 39. | मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना (अधिनियम की धारा 3 (2)(i) और (ii) | पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत।<br>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| 40. | भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45)के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। (अधिनियम की धारा 3(2) | पीड़ित और उसके आश्रितों को चार लाख रूपये। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत।<br>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| 41. | भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा कि ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विर्निदिष्ट किया गया है। (अधिनियम की अनुसूची | पीड़ितों और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। इस रकम में फेरकार हो सकता है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत।<br>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा |

| | | |
|---|---|---|
| | के साथ पठित धारा 3(2)(अं) | जाता है।<br>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| 42. | लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। (अधिनियम की धारा 3(2)(vii) | पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत।<br>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| 43. | निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-18/ 97-एनआई तारीख 1 जून 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया कि लिए अन्तर्विष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है। | |
| | (क) शत-प्रतिशत अक्षमता। | पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।<br>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। |
| | (ख) जहाँ अक्षमता शत-प्रतिशत से कम है किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है। | पीड़ित को चार लाख पच्चास हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।<br>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। |

| | | |
|---|---|---|
| | (ग) जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है। | पीड़ित को दो लाख पच्चास हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।<br>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। |
| 44. | बलात्संग या सामूहिक बलात्संग<br>(i) बलात्संग भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 375 | पीड़ित को पांच लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।<br>(ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत। |
| | (ii) सामूहिक बलात्संग भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376 घ | पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।<br>(ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत. |
| 45. | हत्या या मृत्यु | पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(i) शव परीक्षण के पश्चात् 50 प्रतिशत।<br>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर। |
| 46. | हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती की पीड़ितो को अतिरिक्त अनुतोष। | पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (i) | अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रूपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध : |
| | | (ii) | पीडित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोशित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा, |
| | | (iii) | बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबंध। |
| 47. | घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना। | ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है। | |

उक्त अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति/परिवार को सहायता पहुँचाने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 बनाया गया है। इस नियम के अन्तर्गत आकस्मिकता योजना नियम-1995 द्वारा पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 23.08.2012 के द्वारा अत्याचार पीड़ितों को देय राहत एवं पुनर्वास सहायता की दरों में न्यूनतम 140% से 166% तक वृद्धि की गई है तथा हत्या/मृत्यु के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते की दर में 200% वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) या 3(2) की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत विभिन्न अत्याचार अपराध से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के व्यक्ति, उनके परिवार या आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता की पात्रता होगी। वर्ष 2016-17 में अधिनियम के तहत घटित अपराधों में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के कुल 745 व्यक्तियों को राहत सहायता दी गई है। वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में 366 अत्याचार पीड़ितों को राहत सहायता स्वीकृत की गई है।

उक्त अधिनियम के तहत् बनाए गए अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 9 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। उक्त नियम की धारा 16 के तहत प्रदेश में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्यवन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत एवं पुनर्वास तथा उनसे संबंद्ध

मामलों पर विचार/समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित है तथा नियम 16 (2) के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2017 में उक्त समिति की बैठक 31 मार्च 2017 को आयोजित की गई है। नियम 17 (1) के अनुसार प्रदेश के समस्त 27 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया गया है तथा नियम 17 (3) के अनुसार जिला स्तर पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 13 जिलों यथा जिला- रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कबीरधाम, महासमुन्द, जांजगीर एवं कोरबा में विशेष थाना (पुलिस) स्थापित किए जाकर कार्यरत है। शेष 14 जिलों में क्रमशः धमतरी, कांकेर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा में आजाक प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित हैं।

उपरोक्त मामलों में त्वरित कार्यवाही हेतु प्रदेश में विशेष न्यायालय 11 जिलों में यथा रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव, जगदलपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर, जशपुर, कोरबा, कोरिया एवं रायगढ़ में स्थापित किए जाकर कार्यरत है।

- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला जांजगीर-चांपा, जशपुर, कोरबा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) एवं रायगढ़ जिला मुख्यालयों में विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु प्रति न्यायालय 10 पद के मान से विशेष न्यायाधीश (एट्रो.) एवं स्टाफ के पद सहित कुल 50 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) सहायता एवं पुनर्वास, अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजन संबंधी योजनाएँ केन्द्र प्रवर्तित योजानाएँ हैं, जो कि 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से क्रियान्वित की जाती है।

## राहत एवं पुनर्वास सहायता :-

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता हेतु वर्ष 2017-18 में प्राप्त आवंटन राशि रु. 400.00 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है।

## अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर :-

अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर सद्भावना शिविरों का आयोजन किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी रूढ़ियों और व्यक्तियों के विरूद्ध स्वच्छ निर्मल एवं सामाजिक वातावरण बनाने की पहल है। सामान्यतः सद्भावना शिविर का आयोजन 02 अक्टूबर देश/प्रदेश के अन्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महापुरुषों की जन्मतिथि/जयंती पर किया जाना है।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत सद्भावना शिविर के आयोजन हेतु वर्ष 2017-18 में प्राप्त आवंटन राशि रु. 25.00 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है।

## अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना :-

इस योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता उन्मूलन की दशा में सवर्ण लड़के या लड़की द्वारा अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह कर उठाए गए आदर्श कदम हेतु पुरस्कृत एवं सम्मानित करना है। राज्य शासन द्वारा योजनांतर्गत 06 जुलाई 2011 से प्रति दंपत्ति रुपए 50000/- पुरस्कार की राशि दिए जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2017-18 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु प्राप्त आवंटन राशि रु. 80.00 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है। अब आबंटन उपलब्ध नहीं रहने की दशा में भी आवश्यक राशि का आहरण किये जा सकने की सुविधा दे दी गई है।

## अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति राहत योजना :-

- विपत्ति किसी को बताकर नहीं आती। जब आती है तो गरीब एवं असहाय लोगों को और दुर्बल बना देती है। ऐसी विपत्ति के समय पर प्रदेश के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विपत्ति प्रभावित व्यक्तियों को जिला कलेक्टर के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत विगत 2015-16 से निम्नानुसार व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया गया :-

| क्रमांक | वर्ष | वित्तीय उपलब्धि | भौतिक उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-16 | 20.98 लाख | 716 व्यक्ति |
| 2 | 2016-17 | 28.44 लाख | 839 व्यक्ति |
| 3 | 2017-18 (दिसंबर की स्थिति में) | 21.90 लाख | 664 व्यक्ति |

## मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन हाथ से मैला ढुलाई की अमानवीय कुप्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाथ से मैला ढुलाई के रूप में रोजगार के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 36 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा नियम दिनांक 04.03.2014 को अधिसूचित किया जाकर छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रदेश में नगरीय निकायों में अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण का कार्य सभी 168 नगरीय निकायों में किया गया है तथा 4391 अस्वच्छ शौचालय चिन्हांकित किए गए हैं जिनमें से दिसंबर 2015 तक 3184 अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किया जा चुका है। शेष अस्वच्छ शौचालयों को मार्च 2015 तक स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। छ0ग0 राज्य के जिला मुंगेली में 03 मैनुअल स्केवेंजर्स सर्वे में पाए गए थे जिन्हें नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा पुर्नस्थापित की जा चुकी है। छ0ग0 राज्य में वर्तमान में कोई मैनुअल स्केवेंजर नहीं है।

## प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :-

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। जिसके क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का एकीकृत विकास हेतु गाइड लाईन तथा केन्द्रांश जारी किया गया है।

उक्त योजनांतर्गत छ0ग0 राज्य के जिला बेमेतरा में 30, बलौदाबाजार में 40, जांजगीर-चांपा में 30, बिलासपुर में 35 तथा मुंगेली में 40 ग्राम इस प्रकार 175 ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकताएँ यथा - आवास, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक, आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में उपलब्ध/आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार बेस लाईन सर्वेक्षण कर विलेज डेव्हलपमेंट प्लान तैयार किया जाकर विकास किया जाएगा। उक्त योजनांतर्गत कुल राशि रु. 7750.00 लाख का आवंटन उपलब्ध हुआ है, जिसका पुनर्रावंटन संबंधित जिलों को किया जा चुका है।

## सम्मान / पुरस्कार :-

छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग योजनांतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह, स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते एवं गुरूघासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार हेतु विज्ञापन के माध्यम से प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती है। प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर विभाग द्वारा गठित निर्णायक मण्डल द्वारा पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन कर पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है :-

**1. शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार :-**

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2017-18 में श्री घनश्याम सिंह ठाकुर ग्राम तेन्दूभाठा पोस्ट केशतरा तहसील साजा जिला बेमेतरा छततीसगढ़ को पुरस्कार दिया गया है।

**स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार :-**

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले किसी एक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2017-18 में बहुद्देशीय जनजागरण सेवा समिति 53-एफ सेक्टर रिसाली भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है।

**गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार :-**

छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति वर्गो के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश के महान संत गुरूघासीदास की स्मृति में सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2017-18 में संत भक्ति पंथी कल्याण समिति ग्राम हथनीकला पोस्ट धरमपुरा तहसील पथरिया जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है।

**डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती योजना :-**

वर्ष 2017-18 में योजनांतर्गत राशि रू0 25.00 लाख का बजट प्रावधान है। विभागीय स्तर पर 14 अप्रैल 2017 को जिला राजनादगांव में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

**1. शहीद वीर नारायण सिह लोक कला महोत्सव :-**

- शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान भवन जिला बलौदा बाजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है।
- प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू0 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि 0.25 लाख दिया जाता है।
- उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को चिरस्मरणीय बनाना तथा आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।
- वर्ष 2017-18 में योजनांतर्गत राशि रू. 90.00 लाख का बजट प्रावधान हैं।
- राज्य स्तरीय लोक कला महोत्सव का आयोजन जिला रायपुर में 10 एवं 11 दिसम्बर 2017 को किया सम्पन्न कराया गया है।

**2. गुरूघासीदास लोक कला महोत्सव :-**

- वित्तीय वर्ष 2007-08 से ''गुरूघासीदास लोक कला महोत्सव'' का आयोजन किया जा रहा है।
- योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के परम्परागत लोककला जैसे-पंथी, भरथरी, पंडवानी, पारम्परिक वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहित किया जाना है।
- इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख द्वितीय राशि रू. 0.75 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख पुरस्कार दिये जाते है।
- गुरूघासी दास लोक कला महोत्सव अंतर्गत जिला स्तर से चयनित लोक कला दलों को राज्य के किसी भी जिले में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन कर पुरस्कृत किया जाता है।
- वर्ष 2017-18 में योजनांतर्गत राशि रू. 30.00 लाख का बजट प्रावधान हैं।
- वर्ष 2017-18 में राज्य स्तरीय लोक कला महोत्सव का आयोजन जिला जांजगीर चांपा में किया जाना प्रस्तावित हैं।

## आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी संस्कृतिक दलों को सहायता:-

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासियों को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान स्वरूप प्रति दल राशि रू. 10,000/- दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत विगत वर्षो से वर्ष 2017-18 तक आदिवासी संस्कृतिक दलों के सहायता वैयक्तिक अनुदान हेतु जिलों को निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराया गया है :-

| क्रं. | वर्ष | सॉस्कृतिक दलों की संख्या | प्रदत्त राशि (लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010-11 | 500 | 50.00 |
| 2 | 2011-12 | 740 | 89.00 |
| 3 | 2012-13 | 735 | 73.50 |
| 4 | 2013-14 | 735 | 73.50 |
| 5 | 2014-15 | 730 | 73.00 |
| 6 | 2015-16 | 730 | 73.67 |
| 7 | 2016-17 | 730 | 73.00 |
| 8 | 2017-18 | 730 | 73.00 |
| | **योग** | **5630** | **578.67** |

## आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण / मरम्मत :-

आदिवासी सांस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी बाहूल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत योजना वर्ष 2006-07 से संचालित हैं। योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत हेतु वर्ष 2017-18 से प्रति देवगुड़ी राशि रू. 1,00000/- रूपये उपलब्ध करायी जाती हैं। योजनांतर्गत विगत वर्षो से वर्ष 2017-18 तक देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत हेतु निम्नानुसार आबंटन जिलों को उपलब्ध कराया जा चुका हैं :-

| क्रं. | वर्ष | देवगुड़ी की संख्या | प्रदत्त राशि (लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012-13 | 732 | 366.00 |
| 2 | 2013-14 | 750 | 375.00 |
| 3 | 2014-15 | 600 | 300.00 |
| 4 | 2015-16 | 565 | 282.00 |
| 5 | 2016-17 | 600 | 210.00 |
| 6 | 2017-18 | 400 | 400.00 |

## विश्व आदिवासी दिवस एवं आदिवासी महोत्सव :-

वर्ष 2017-18 में आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास अंतर्गत आदिवासी महोत्सव हेतु राशि रू. 160.00 लाख बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से राशि रू. 50.00 लाख 09 अगस्त 2017 को इंडोर स्टेडियम रायपुर में आयोजित ''विश्व आदिवासी दिवस'' कार्यक्रम पर किया गया। शेष राशि रू. 110.00 लाख का व्यय 10 एवं 11 दिसम्बर 2017 को साईंस कॉलेज मैदान में आयोजित ''आदिवासी महोत्सव'' कार्यक्रम पर किया गया है।

आदिवासी महोत्सव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दो दिवसीय आयोजन में साहित्य, उत्सव, ट्राईबल ओलम्पियाड, ट्राईबल हैकॉथान, आदिवासी व्यंजन, शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव (नृत्य प्रतियोगिता), परियोजनाओं की स्टॉल तथा उत्तर पूर्वी भारत के 07 राज्यों तथा मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के आदिवासी लोक नृत्य का प्रदर्शन इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उत्तर पूर्वी राज्य के नर्तक दल की प्रस्तुति

# छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित रायपुर का गठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (पुर्नगठन और निर्माण) अध्यादेश क्रमांक-2000 (मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक-04 सन्-2000) के अन्तर्गत किया गया है। निगम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सफाई कामगार वर्ग के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण हेतु उद्यमी विकास संस्थान की समस्त इकाइयों एवं पूर्व में विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्रों का विलय इस निगम में कर दिया गया है। इस निगम की पूंजी का 51 प्रतिशत राज्य की अंशपूंजी हिस्सा एवं 49 प्रतिशत केन्द्रीय अंशपूंजी हिस्सा है। निगम द्वारा छ.ग. राज्य के निर्धारित मापदण्ड में आने वाले हितग्राही क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सफाई कामगार वर्ग के उत्थान में वित्तीय ऋण सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत दी जाती है।

**छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाएँ एवं प्रगति विवरण 2017-18**

**(राशि लाख में)**

| क्रं. | योजना का नाम | भौतिक उपलब्धि हितग्राही | वित्तीय उपलब्धि दिसम्बर-2017 |
|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त निगम प्रवर्तित योजना | 12 | 12.00 |
| 2. | राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त निगम प्रवर्तित योजना | 19 | 88.75 |
| 3. | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त निगम प्रवर्तित योजना | 75 | 109.50 |
| 4. | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त निगम प्रवर्तित योजना | 237 | 764.66 |
| 5. | अन्त्योदय स्वरोजगार योजना | 2171 | (ऋण) 754.34<br>(अनुदान) 217.10 |
| 6. | आदिवासी स्वरोजगार योजना | 1108 | (ऋण) 419.16<br>(अनुदान) 110.80 |
| 7. | मिनीमाता स्वावलंबन योजना | 647 | 983.44 |
| 8. | शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन योजना | 951 | 1468.32 |
| 9. | व्यावसायिक प्रशिक्षण (कम पढ़े-लिखे युवाओं का स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन) योजना (अनुसूचित जनजाति वर्ग) | 589 | 33.70 |
| 10. | व्यावसायिक प्रशिक्षण (कम पढ़े-लिखे युवाओं का स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन) योजना (अनुसूचित जाति वर्ग) | 259 | 38.85 |
| | **योग -** | **6068** | **5000.62** |

# अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2007 यथा संशोधित 2012 का क्रियान्वयन

छ.ग. राज्य में वर्ष 2008 से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012, का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदक द्वारा कब्जे का दावा करने हेतु दिनांक 13.12.2005 कट ऑफ डेट निर्धारित है। अन्य परंपरागत वन निवासी के मामले में दावाकर्ता का कट ऑफ डेट के पूर्व से तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से संबंधित ग्राम/वन भूमि में निवासरत होना भी आवश्यक है।

राज्य में 31.10.2017 तक वन अधिकार के व्यक्तिगत दावों हेतु कुल 8,52,643 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 3,93,268 दावे स्वीकृत कर 3,87,141 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि निरस्त/अस्वीकृत व्यक्तिगत दावों की संख्या 4,52,642 है। इसी प्रकार वन अधिकार के सामुदायिक दावों हेतु कुल 31,235 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 23,267 दावे स्वीकृत कर 17,873 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि निरस्त/अस्वीकृत दावों की संख्या 7,311 है। राज्य में व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के अंतर्गत कुल 3,34,495.128 हेक्टेयर भूमि तथा सामुदायिक दावों के अंतर्गत कुल 6,96,573.264 हेक्टेयर भूमि वितरित की गई है।

शासन द्वारा सभी अस्वीकृत प्रकरणों को पुनर्विचार में लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके फलस्वरूप पुनर्विचार में लिए गए व्यक्तिगत 4,55,211 प्रकरणों में से 43,819 दावे स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार पुनर्विचार में लिए गए सामुदायिक 3,831 प्रकरणों में से 752 दावे स्वीकृत किए गए हैं।

राज्य में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वितरित वन अधिकार पत्रों का डिजिटलाईजेशन एवं भूमि की जियो टैंगिग (Geo Tagging) इत्यादि का कार्य चिप्स छत्तीसगढ़ रायपुर के माध्यम से कराया जा रहा है। इस हेतु भारत सरकार से रू. 319.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन प्रतिबद्धतापूर्वक किया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि छ.ग. राज्य, देश में वन अधिकार पत्र वितरण करने में अग्रणी राज्यों में से एक है।

## वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र

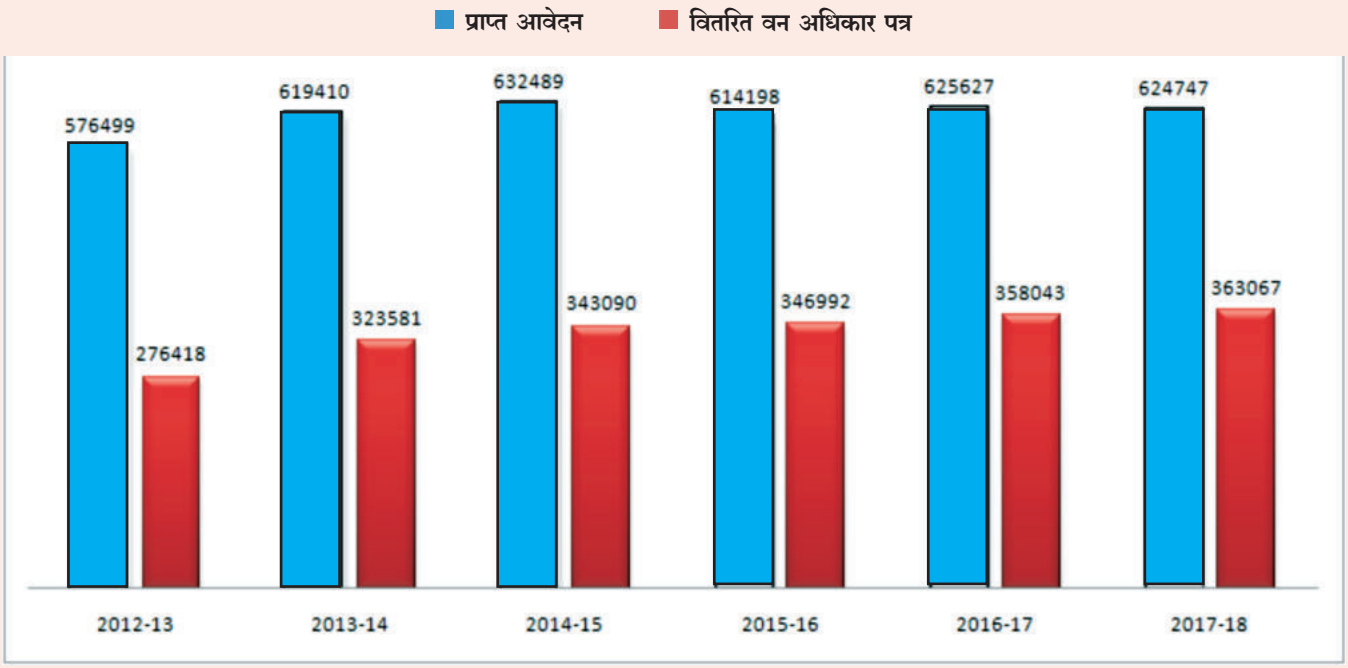


## वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत ओ.टी.एफ.डी. के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र

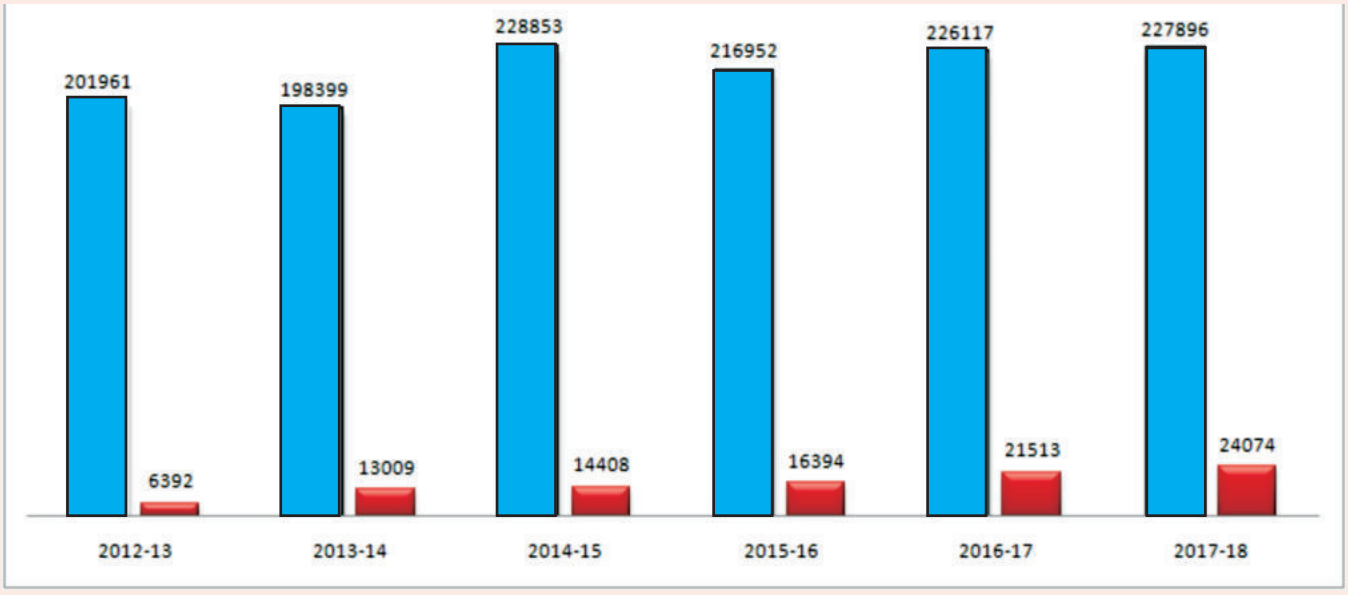

## वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकारों के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र

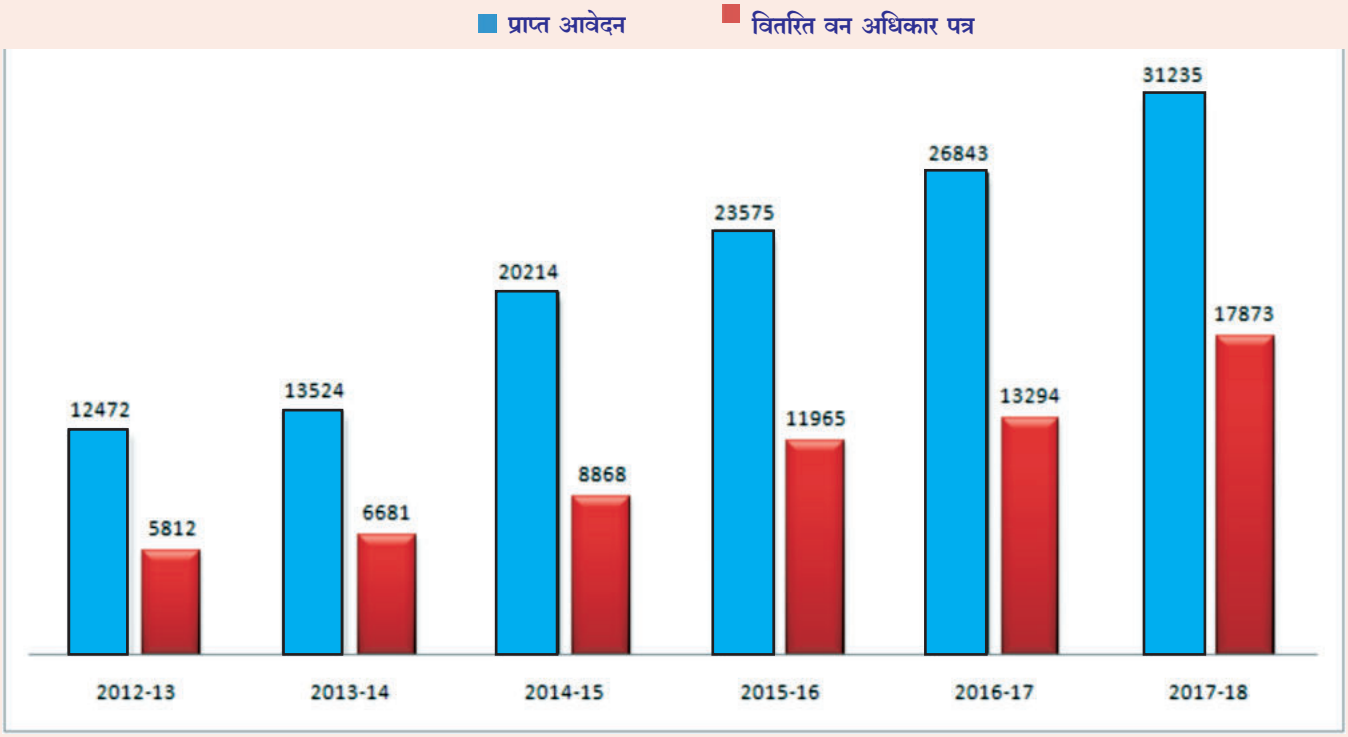

# अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना

## अनुसूचित जनजाति उपयोजना –

जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना काल से आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनाई गई। इसी रणनीति के तहत विभिन्न पंचवर्षीय योजना काल के दौरान प्रदेश की जनजातियों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न विकास विभागों द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही है। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से आयोजना, वित्तीय संसाधन, बजटीय व्यवस्था, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि की संपूर्ण व्यवस्था सभी विकास विभागों के सहयोग से की जाती रही है। इन सारे कार्यो के उत्तरदायित्व का निर्वहन नोडल विभाग यथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है। आदिवासी उपयोजना के मुख्यतः दो उद्देश्य है :-

1. जनजातियों का एकीकृत ढंग से सर्वांगीण विकास करना।
2. जनजातियों की सुरक्षा एवं उन्हें हर तरह से शोषण से मुक्ति दिलाना।

आदिवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की रणनीति के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना विकास की समस्या को कार्य दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है :-

1. वे क्षेत्र जिनमें आदिवासी जनसंख्या की बहुलता है।
2. बिखरी हुई जनजातियां।
3. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा उनकी जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए Area Specific Approach के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों को सुलभतापूर्वक राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग के बजट में ऐसा अनुपातिक प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद की राशि का अन्यत्र/गैर उपयोजना क्षेत्र में उपयोग किए जाने की स्थिति निर्मित ना हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य बजट में मांग संख्या 41, 42, 68, 77, 82 और 83 निर्मित की गयी हैं, जिससे प्रावधानित राशि अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के अलावा अन्य मदों में उपयोग नहीं की जा सकती है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के विकास एवं उनमें रहने वाले जनजातीय परिवारों के आय बढ़ाने वाली गतिविधियों पर पर्याप्त जोर देने के लिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अन्य वर्गो के मध्य शैक्षणिक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अंतर को Gap filling के माध्यम से दूर कर जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को उन्नत करना इसका उद्देश्य है। आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जनजाति परिवारों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं जैसे - कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, शोषण से मुक्ति, मानव संसाधन विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, मूलभूत संरचनाओं का विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक बजट में राशि रु. 18442.53 करोड़ अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

## अनुसूचित जाति उपयोजना -

अनुसूचित जाति उपयोजना पहले विशेष घटक के रूप में जानी जाती थी। अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास पर आधारित अवधारणा है जबकि अनुसूचित जाति उपयोजना का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करना है, किसी क्षेत्र विशेष को नहीं क्योंकि अनुसूचित जातियों का जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में केन्द्रित न होकर विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है तथापि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को बुनियादी अधोसंरचना की दृष्टि से अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

जिलों की मिश्रित भूमि संरचना एवं अनुसूचित जाति जनसंख्या के फैलाव/बिखराव को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न बृहत सिंचाई, ऊर्जा एवं परिवहन की परियोजनाओं से केवल अनुसूचित जाति जनसंख्या को लाभान्वित कर पाना संभव नहीं है। इसलिये ऐसे कार्यक्रम जिनसे लक्षित समूह को सीधे लाभान्वित किया जा सके जैसे समुदाय पर आधारित संरचनात्मक कार्य पेयजल सुविधा, सामुदायिक केन्द्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों में सी.सी.रोड तथा कौशल उन्नयन स्वरोजगार योजना विशेष घटक योजना की अम्ब्रेला योजना अंतर्गत लिए जाते हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना की बृहद संकल्पना से विभिन्न क्षेत्रों की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। इस हेतु विभिन्न विकास विभागों के वार्षिक बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्रदेश की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान रखे जाने पर जोर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक बजट में कुल राशि रु. 5813.35 करोड़ के अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

# भाग - चार

# आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

## परिचय -

भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, रीति-रिवाज, रहन-सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाईयों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में अविभाजित मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशंसा अनुरूप राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत देश की 15 वें आदिमजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना 02.09.2004 को राज्य में की गई।

## संस्थान के प्रमुख कार्य -

आदिमजाति अनुसंधान संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नांकित है :-

- अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
- अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में जातियों का इथनोलाजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना।
- अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के प्रमुख विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना आदि।

संस्थान द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2018 तक संपादित किये गये कार्यों की अद्यतन जानकारी निम्नांकित है -

## मानवशास्त्रीय अध्ययन -

1. कोंध - प्रतिवेदन पूर्ण
2. भैना - प्रतिवेदन पूर्ण
3. कंवर - प्रतिवेदन पूर्ण

4. पहाड़ी कोरवा – प्रतिवेदन पूर्ण
5. बियार, ब्यार – प्रतिवेदन पूर्ण
6. बिंझवार – प्रतिवेदन पूर्ण
7. बिरहोर – प्रतिवेदन पूर्ण
8. गोंड – प्रतिवेदन पूर्ण

## नृजातीय परीक्षण अध्ययन –

1. दुसाध-पासवान अनुसूचित जाति – प्रतिवेदन पूर्ण, शासन को प्रेषित।
2. भरिया/भारिया अनुसूचित जनजाति – प्रतिवेदन पूर्ण, शासन को प्रेषित।
3. बियार/ब्यार अनुसूचित जनजाति – प्रतिवेदन पूर्ण, शासन को प्रेषित।
4. दोरला जनजाति – प्रतिवेदन पूर्ण।
5. लांजा जाति – प्रतिवेदन पूर्ण, शासन को प्रेषित।
6. कोंध, कोंद जाति – प्रतिवेदन पूर्ण, शासन को प्रेषित।
7. कोड़ा जाति – प्रतिवेदन पूर्ण, शासन को प्रेषित।
8. मंगिया जाति – प्रतिवेदन पूर्ण।

## मोनोग्राफिक अध्ययन –

बियार अनुसूचित जनजाति – प्रथागत कानून का अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण।
बिरहोर अनुसूचित जनजाति – प्रथागत कानून का अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण।
पहाड़ी कोरवा अनुसूचित जनजाति – प्रथागत कानून का अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण।
बस्तर दशहरा – मोनोग्राफ अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण।
बस्तर का आदिवासी हाट बाजार – मोनोग्राफ अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण।

उपरोक्त पांच मोनोग्राफ अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण कर प्रकाशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## सर्वेक्षण –

1. संस्थान द्वारा राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति यथा कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा बिरहोर एवं अबुझमाड़िया का आधारभूत सर्वेक्षण का पूर्ण कर लिया गया है। सर्वेक्षण कार्य की अद्यतन स्थिति निम्नांकित है –

| क्रं. | P.V.T.G. का नाम | जिला | विकासखण्ड | ग्राम पंचायतों की संख्या | वर्तमान में सर्वेक्षित ग्रामों की संख्या | वर्तमान में सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या | कुल जनसंख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | पुरूष | महिला | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | बैगा | कबीरधाम | बोड़ला | 64 | 184 | 6632 | 13313 | 13188 | 26501 |
| | | | पंडरिया | 31 | 78 | 4625 | 8532 | 8577 | 17109 |
| | | मुंगेली | लोरमी | 16 | 41 | 2358 | 4202 | 4172 | 8374 |
| | | बिलासपुर | कोटा | 27 | 32 | 1520 | 2616 | 2536 | 5152 |
| | | | गौरेला | 13 | 17 | 2095 | 3286 | 3204 | 6490 |
| | | | तखतपुर | 2 | 2 | 60 | 110 | 134 | 244 |
| | | राजनांदगांव | छुईखदान | 17 | 39 | 1348 | 2183 | 2174 | 4357 |
| | | कोरिया | मनेन्द्रगढ़ | 23 | 23 | 435 | 793 | 736 | 1529 |
| | | | खडगवा | 24 | 24 | 355 | 638 | 585 | 1223 |
| | | | भरतपुर | 84 | 84 | 5174 | 8195 | 8447 | 16642 |
| **योग** | | | | **301** | **524** | **24602** | **43868** | **43753** | **87621** |
| 2 | पहाड़ी कोरवा | बलरामपुर | कुसमी | 32 | 30 | 742 | 1584 | 1641 | 3225 |
| | | | शंकरगढ़ | 50 | 50 | 1336 | 1887 | 2716 | 4603 |
| | | | राजपुर | 43 | 43 | 1142 | 1418 | 1378 | 2796 |
| | | | बलरामपुर | 9 | 9 | 161 | 280 | 279 | 559 |
| | | सरगुजा | मैनपाट | 18 | 18 | 383 | 490 | 439 | 929 |
| | | | लुण्ड्रा | 71 | 61 | 887 | 2187 | 2108 | 4295 |
| | | | अम्बिकापुर | 13 | 11 | 204 | 592 | 598 | 1190 |
| | | | लखनपुर | 8 | 8 | 185 | 230 | 199 | 429 |
| | | | सीतापुर | 11 | 11 | 197 | 372 | 368 | 740 |
| | | | बतौली | 17 | 17 | 409 | 741 | 750 | 1491 |
| | | | उदयपुर | 7 | 7 | 173 | 316 | 321 | 637 |
| | | जशपुर | मनोरा | 10 | 12 | 238 | 523 | 496 | 1019 |
| | | | बगीचा | 35 | 81 | 3863 | 6839 | 6718 | 13557 |
| | | | कुनकुरी | 1 | 1 | 9 | 16 | 16 | 32 |
| | | कोरबा | कोरबा | 16 | 26 | 600 | 1074 | 1131 | 2205 |
| | | | पोड़ीउपरोड़ा | 4 | 4 | 33 | 67 | 59 | 126 |
| **योग** | | | | **345** | **389** | **10562** | **18616** | **19217** | **37833** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | कमार | गरियाबंद | गरियाबंद | 43 | 71 | 2006 | 3425 | 3585 | 7010 |
| | | | छुरा | 43 | 59 | 1092 | 2085 | 1998 | 4083 |
| | | | मैनपुर | 33 | 51 | 1437 | 2267 | 2331 | 4598 |
| | | | फिंगेश्वर | 15 | 18 | 205 | 361 | 357 | 718 |
| | | बलौदाबाजार | कसडोल | 2 | 2 | 40 | 77 | 80 | 157 |
| | | कांकेर | नरहरपुर | 12 | 13 | 79 | 148 | 148 | 296 |
| | | महासमुंद | बागबाहरा | 26 | 32 | 390 | 690 | 696 | 1386 |
| | | | पिथौरा | 2 | 2 | 44 | 86 | 82 | 168 |
| | | | महासमुंद | 32 | 41 | 461 | 819 | 867 | 1686 |
| | | धमतरी | नगरी | 65 | 88 | 1243 | 2324 | 2412 | 4736 |
| | | | मगरलोड | 21 | 26 | 448 | 821 | 821 | 1642 |
| | | | धमतरी | 4 | 5 | 20 | 37 | 41 | 78 |
| | | कोण्डागांव | बड़ेराजपुर | 1 | 1 | 10 | 20 | 17 | 37 |
| **योग** | | | | **299** | **409** | **7475** | **13160** | **13435** | **26595** |
| 4 | बिरहोर | जशपुर | कुनकुरी | 1 | 1 | 22 | 32 | 34 | 66 |
| | | | दुलदुला | 1 | 1 | 16 | 29 | 27 | 56 |
| | | | कांसाबेल | 3 | 4 | 29 | 47 | 52 | 99 |
| | | | बगीचा | 4 | 4 | 60 | 101 | 86 | 187 |
| | | | पत्थलगांव | 2 | 2 | 34 | 57 | 50 | 107 |
| | | रायगढ़ | धरमजयगढ़ | 16 | 16 | 223 | 331 | 353 | 684 |
| | | | घरघोड़ा | 3 | 3 | 15 | 31 | 25 | 56 |
| | | | तमनार | 3 | 3 | 53 | 63 | 78 | 141 |
| | | | लैलूंगा | 3 | 3 | 23 | 37 | 47 | 84 |
| | | कोरबा | कोरबा | 8 | 9 | 145 | 224 | 222 | 446 |
| | | | पोड़ीउपरोड़ा | 11 | 12 | 189 | 281 | 278 | 559 |
| | | | पाली | 11 | 11 | 159 | 248 | 273 | 521 |
| | | | करतला | 3 | 3 | 13 | 19 | 21 | 40 |
| | | बिलासपुर | कोटा | 3 | 4 | 104 | 163 | 172 | 335 |
| | | | मस्तुरी | 2 | 2 | 39 | 56 | 67 | 123 |
| **योग** | | | | **74** | **78** | **1124** | **1719** | **1785** | **3504** |
| 5 | अबुझमाड़िया | नारायणपुर | ओरछा | 36 | 237 | 4632 | 10864 | 11263 | 22127 |
| | | | नारायणपुर | 13 | 13 | 154 | 338 | 381 | 719 |
| **योग** | | | | **49** | **250** | **4786** | **11202** | **11644** | **22846** |
| **महायोग** | | | | **1068** | **1650** | **48549** | **88565** | **89834** | **178399** |

उपरोक्त पांचों विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के आधारभूत सर्वेक्षण उपरांत प्राप्त अनुसूचियों का सारणीयन एवं विश्लेषण तथा प्रतिवेदन लेखन का कार्य प्रगति पर है।

2. भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद क्षेत्र के बाहर निवासरत गैर अभिकरण क्षेत्रों के विकासखण्डों यथा देवभोग, फिंगेश्वर, महासमुंद, बागबाहरा एवं मगरलोड विकासखण्डों के कुल 32 ग्रामों में निवासरत 514 भुंजिया परिवारों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया है, जिनकी कुल जनसंख्या 1761 है जिमसें 894 महिला एवं 867 पुरूष पाई गयी। सर्वेक्षण उपरांत विश्लेषण कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन लेखन का कार्य प्रगति पर है।

## प्रकाशन –

राज्य के जनजातियों में प्रचलित बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से निम्नांकित बोलियों पर आधारित वार्तालाप निर्देशिका एवं शब्दकोश तैयार कर प्रकाशन किया गया है –

1. कुडुख बोली वार्तालाप संक्षेपिका
2. हिन्दी-भतरी शब्दकोश
3. हिन्दी-भतरी वार्तालाप संक्षेपिका
4. हिन्दी-हल्बी शब्दकोश
5. हिन्दी-परजा शब्दकोश

उपरोक्त के अतिरिक्त सादरी बोली में वार्तालाप संक्षेपिका, हिन्दी-गोंडी (दण्डामी माड़िया) बोली वार्तालाप निर्देशिका, हिन्दी-गोंडी (दण्डामी माड़िया) शब्दकोश, सादरी बोली में वार्तालाप संक्षेपिका, परजा बोली में वार्तालाप संक्षेपिका, हिन्दी-दोरली वार्तालाप निर्देशिका, हिन्दी -हल्बी वार्तालाप निर्देशिका, हिन्दी-दोरली शब्दकोश, हिन्दी-गोण्डी वार्तालाप संक्षेपिका, हिन्दी-गोण्डी शब्दकोश तैयार किया गया है, जिसकी प्रकाशन की कार्यवाही प्रगति पर है।

## छत्तीसगढ़ आदिवासी महोत्सव में सहभागिता –

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के प्रथम आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर दिनांक 10 से 11 दिसंबर, 2017 तक राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ आदिवासी महोत्सव में संस्थान द्वारा राज्य एवं राज्य के बाहर के आदिवासी सांस्कृतिक दलों के द्वारा प्रस्तुतिकरण के साथ-साथ जनजातीय विषयों पर आधारित साहित्यिक सम्मेलन में सहभागिता दी गई।

साहित्यिक सम्मेलन में राज्य से बाहर के विषय-विशेषज्ञ अतिथियों को विशेष व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया था तथा राज्य एवं निकटवर्ती राज्य के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा कुल 72 शोध-पत्रों के सारांश प्रस्तुतिकरण हेतु संस्थान को प्रेषित किए गए जिसमें उपरोक्त सारांशों की पुस्तिका प्रकाशित की गई।

## प्रशिक्षण –

संस्थान द्वारा निम्नांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये –

1. सरगुजा जिले के मैनपाट में राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों

एवं उनके आरक्षण संबंधी प्रावधान, राज्य एवं केन्द्र सरकार के नियम एवं निर्देश संबंधी प्रशिक्षण एवं वन अधिकार अधिनियम, अनु.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम, जनजातीय जागरूकता सम्मेलन में सहभागिता दी गई।

2. सरगुजा, बस्तर एवं रायपुर संभाग में पृथक-पृथक तिथियों में जाति प्रमाण-पत्र जारी करने, अत्याचार निवारण अधिनियम एवं वन अधिकार अधिनियम के संबंध में संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

3. संस्थान की संभागीय क्षेत्रीय ईकाईयों द्वारा बस्तर संभाग के विकासखण्ड - बस्तर, तोकापाल, लोहण्डीगुड़ा एवं बास्तानार, सरगुजा संभाग के बलरामपुर, कोरिया, जशपुर एवं मैनपाट विकासखण्डों तथा बिलासपुर संभाग के धरमजयगढ़, पोड़ीउपरोड़ा, कोरबा एवं गौरेला विकासखण्ड मुख्यालय पर विधिक परामर्श सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।

## जाति प्रमाण पत्रों की जांच -

संस्थान में राज्य शासन द्वारा गठित जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच से संबंधित अब तक कुल 625 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें कार्यवाही पूर्ण करते हुए 481 प्रकरणों में आदेश पारित किये जा चुके हैं। आदेश पारित प्रकरणों में 237 जाति प्रमाण-पत्र सही पाये गये एवं 244 जाति प्रमाण-पत्र गलत पाये गये। जांच हेतु 144 प्रकरण शेष है जिसमें से 75 प्रकरण जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के विजिलेंस सेल के पास अन्वेषणाधीन है। शेष 69 प्रकरणों में सुनवाई प्रक्रिया जारी है।

छानबीन समिति द्वारा वर्ष 2017-18 में दिनांक 31.12.2017 तक कुल 28 नवीन प्रकरण दर्ज किये गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण विनियमन नियम, 2013 में विहित प्रावधान एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप करते हुए दिनांक 31.12.2017 तक 15 प्रकरणों पर आदेश पारित किये गये हैं जिनमें से 11 जाति प्रमाण-पत्र सही एवं 04 जाति प्रमाण-पत्र गलत पाये गये।

# आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

छ0ग0 राज्य के गठन के तत्काल पश्चात् राज्य शासन द्वारा यह महसूस किया गया है कि राज्य को आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। फलस्वरूप आदिवासी अंचलों के विकास हेतु :-

अ. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

ब. सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन राज्य शासन के आदेश क्र./एफ7-5/04/01/06, दिनांक 20 मई 2004 द्वारा किया गया।

## 1. गठन एवं विस्तार :-

प्रारंभ मे बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिला बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कोण्डागांव ही सम्मिलित किए गए थे, बाद में इसका क्षेत्र विस्तार कर धमतरी जिले का नगरी, दुर्ग जिले का डौण्डीलोहारा, राजनांदगांव जिले का राजनांदगांव तथा गरियाबंद जिल हैं। गरियाबंद एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र को विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ राजनांदगांव जिले का ''नचनिया'' एवं जिला कवर्धा का ''माडा'' क्षेत्र भी प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किए गए।

सरगुजा विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रारंभ में जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सुरजपूर एवं कोरिया जिला ही सम्मिलित किया गया था, बाद में इस प्राधिकरण क्षेत्र का विस्तार करते हुए जिला कोरबा (पूर्ण राजस्व जिला) रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ एकीकृत विकास परियोजना एवं बिलासपुर जिले की गौरेला परियोजना को सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

## 2. उद्देश्य :-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाता है। क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

## 3. बजट प्रावधान :-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में लिए जाने वाले कार्यों हेतु पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल रूपये बस्तर विकास प्राधिकरण ने 4379.60 लाख विरूद्ध 4379.54 लाख, सरगुजा विकास प्राधिकरण में 4853.30 लाख विरूद्ध 4853.30 लाख एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में 4363.60 लाख विरूद्ध 4363.51 लाख की राशि जारी की गई है। इसके अंतर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति मुख्यमंत्री सचिवालय प्राधिकरण प्रकोष्ठ से की जाती है। वर्ष 2004-05 से लेकर वर्ष 2017-18 (नवम्बर 2017 की स्थिति में) अंतर्गत आदिवासी विकास प्राधिकरणों हेतु प्रावधानित राशि के विरूद्ध स्वीकृत राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

## बस्तर एव दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

| वर्ष | प्रावधान (लाखों में) | पुनरावंटन/स्वीकृत (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2004-05 | 1300.00 | 1269.431 |
| 2005-06 | 2500.00 | 2500.00 |
| 2006-07 | 2700.00 | 2700.00 |
| 2007-08 | 4000.00 | 3979.456 |
| 2008-09 | 4000.00 | 3996.42 |
| 2009-10 | 3500.00 | 3436.126 |
| 2010-11 | 3500.00 | 3500.00 |
| 2011-12 | 5000.00 | 4997.56 |
| 2012-13 | 3700.00 | 3698.59 |
| 2013-14 | 3700.00 | 3687.40 |
| 2014-15 | 4000.00 | 3994.52 |
| 2015-16 | 3500.00 | 3500.00 |
| 2016-17 | 4379.60 | 4379.54 |
| 2017-18 | 3500.00 | 1987.78 |

## सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

| वर्ष | प्रावधान (लाखों में) | पुनरावंटन/स्वीकृत (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2004-05 | 1300.00 | 1300.00 |
| 2005-06 | 2500.00 | 2417.00 |
| 2006-07 | 2500.00 | 2491.005 |
| 2007-08 | 3700.00 | 3699.996 |
| 2008-09 | 3500.00 | 3489.94 |
| 2009-10 | 3500.00 | 3436.65 |
| 2010-11 | 3500.00 | 3499.14 |
| 2011-12 | 3500.00 | 3499.70 |
| 2012-13 | 4040.00 | 3798.65 |
| 2013-14 | 3700.00 | 3699.72 |
| 2014-15 | 4000.00 | 3999.67 |
| 2015-16 | 3500.00 | 3498.73 |
| 2016-17 | 4853.30 | 4853.30 |
| 2017-18 | 3500.00 | 2646.28 |

## 4. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन :-

राज्य के अनुसूचित जाति क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य शासन के आदेश क्र/एफ-7-9/04/ 1/06, दिनांक 23.10.2004 द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

## अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का क्षेत्र :-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। जिन ग्रामों, पारा, वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है, यहाँ कार्य लिए जाते हैं।

## प्रावधान :

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्रों में भी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य स्वीकृत किए जाते है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत वर्ष 2004 से नवम्बर 2017 तक बजट प्रावधान एवं उसके विरूद्ध दी गई स्वीकृति राशि की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है :-

**अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण**

| वर्ष | प्रावधान (लाखों में) | पुनरावंटन/स्वीकृत (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2004-05 | 400.00 | 360.42 |
| 2005-06 | 2000.00 | 1991.994 |
| 2006-07 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2007-08 | 3500.00 | 3498.25 |
| 2008-09 | 3500.00 | 3492.314 |
| 2009-10 | 3500.00 | 3477.174 |
| 2010-11 | 3500.00 | 3498.94 |
| 2011-12 | 3500.00 | 3976.19 |
| 2012-13 | 4040.00 | 3999.995 |
| 2013-14 | 3700.00 | 3698.72 |
| 2014-15 | 3700.00 | 3699.472 |
| 2015-16 | 3500.00 | 3499.93 |
| 2016-17 | 4363.60 | 4363.51 |
| 2017-18 | 3500.00 | 2898.59 |

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर माननीय श्री भोजराज नाग विधायक विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़, जिला-कांकेर, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर माननीय श्री राजशरण भगत विधायक विधानसभा क्षेत्र जशपुर, जिला-जशपुर एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर माननीय श्री सनम जांगड़े विधायक विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार भाटापारा को नामांकित किया गया है।

प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित नीतियों, लिए गए निर्णयों, जारी आदेश एवं निर्देश, प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं।

# भाग - पाँच

# अभिनव योजनाएँ

## प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल की कोचिंग योजना :-

राज्य के आदिम जाति/अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग/मेडिकल संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से राज्य में प्री. इंजीरियरिंग एवं प्री. मेडिकल की कोचिंग योजना वर्ष 2010-11 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं में विज्ञान विषय लेकर 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनके पालक आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आते है, उनको प्रवेश की पात्रता होती है। वर्ष 2016-17 में 72 विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान की गई थी। वर्ष 2016-17 में रूपये 80.00 लाख का बजट प्रावधान है।

वर्ष 2015-16 में इस योजना के तहत् 40 विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान की गई। इनमें से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय संस्थान में 03. चिकित्सा पाठ्यक्रम में 05, इंजीरियरिंग-05, बी.एस.सी.-04, बी.सी.ए.-01, वेटेनरी चिकित्सा पाठ्यक्रम-01, फिजीयोथैरेपी एवं कार्डियोलॉजी डिप्लोमा में एक-एक छात्र प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन कर रहे है।

## आदर्श छात्रावास / आश्रमों की स्थापना :-

विभाग में संचालित छात्रावास एवं आश्रमों को विकसित (सुसज्जित) कर आदर्श संस्था बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2009-10 में प्रत्येक जिले के 10-10 छात्रावास एवं आश्रमों का चयन कर आदर्श छात्रावास एवं आश्रम स्थापित किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में भी 500 छात्रावास एवं आश्रमों को आदर्श छात्रावास एवं आश्रम के रूप में स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, इसी प्रकार वर्ष 2013-14 में 500 तथा वर्ष 2014-15 में 100 छात्रावास/आश्रम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 1400 से अधिक छात्रावास आश्रमों को आदर्श छात्रावास आश्रम के रूप में विकसित किया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए 100 छात्रावास आश्रमों को आदर्श छात्रावास एवं आश्रम के रूप में स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।।

आदर्श छात्रावास, नारायणपुर

## युवा कॅरियर निर्माण योजना :-

वर्ष 2003 में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से संचालित थी। इस योजना अंतर्गत संघ लोक सेवा अयोग की सिविल सेवा परीक्षा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 50 सीट स्वीकृत थी। जो वर्तमान में 100 सीट्स हो गई है। यह कोचिंग रायपुर (50सीट्स) एवं दुर्ग (50सीट्स) में संचालित है। इसके अतिरिक्त बैकिंग, रेल्वे, व्यापम, एस.एस.सी. आदि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में 100-100 सीट्स स्वीकृत हैं।

## अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009 :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गई। इस योजना अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान है :-

1. संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र।
2. यह राशि किसी भी प्रयास में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाती है।

इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की किसी भी स्तर में होने पर संबंधित आयोग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र या अधिकृत दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत निम्नानुसार राशि एक मुश्त प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। योजना अंतर्गत अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षण कर स्वीकृति आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ.ग. रायपुर द्वारा दी जाती है।

इस योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 02 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

## ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली :-

देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए युवा कैरियर निर्माण योजना के तहत् द्वारका, नई दिल्ली में विभाग द्वारा ट्रायबल यूथ हॉस्टल संचालित किया जा रहा है। यह संस्था पूर्णतः आवासीय है। वर्ष 2017-18 में कुल 45 अभ्यर्थी लाभान्वित हुए है।

विगत 04 वर्षो में उपलब्धि निम्नानुसार है :-

| क्रं. | वर्ष | अध्ययन/कोचिंग | प्रवेशित छात्र संख्या | सफलता का विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पद नाम | संख्या |
| 1 | 2013-14 | यू.पी.एस.सी./अन्य प्रतियोगी परीक्षा/ उच्च शिक्षा | 39 | 1. असिस्टेंट कमांडेन्ट-02<br>2. डिप्टी कलेक्टर-03<br>3. डी.एस.पी.-01<br>4. अन्य-02 | 08 |
| 2 | 2014-15 | यू.पी.एस.सी./अन्य प्रतियोगी परीक्षा/ उच्च शिक्षा | 58 | 1. डिप्टी कलेक्टर-03<br>2. मुख्य कार्यपालन अधि.-01<br>3. अन्य-08 | 12 |
| 3 | 2015-16 | यू.पी.एस.सी./अन्य प्रतियोगी परीक्षा/ उच्च शिक्षा | 49 | 1. सब आर्डिनेट एकाउंट सर्विस-01<br>2. अन्य-04 | 05 |
| 4 | 2016-17 | यू.पी.एस.सी./अन्य प्रतियोगी परीक्षा/ उच्च शिक्षा | 59 | 1. यू.पी.एस.सी.-03<br>2. अन्य-16 | 19 |

**टीप** :- 07 अभ्यर्थी यू.पी.एस.सी. प्रारंभिक परीक्षा क्वालीफाई कर यू.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा में सम्मलित हुए, इनमें से 03 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए, जो कि विभाग के लिए हर्ष का विषय है।

डॉ. गगन गिरी गोस्वामी
यू.पी.एस.सी. रैंक 710

लाल दास
यू.पी.एस.सी. रैंक 746

पियूष कुमार लहरे
यू.पी.एस.सी. रैंक 977

**ट्राईबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली में अध्ययनरत छात्रों में से यू.पी.एस.सी. में चयनित छात्र**

## मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना :-

नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि सुविधा निःशुल्क प्रदान कर संरक्षक की भूमिका निभाते हुए रोजगार में स्थापित कर जीवन में स्थायित्व पैदा करना इस योजना का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा ''**मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना 2010**'' का संचालन प्रारंभ किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजनांतर्गत 1510.90 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजना के चार घटक निम्नानुसार है:-

1. **आस्था** :- नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दन्तेवाड़ा जिले में आस्था गुरूकुल विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में कक्षा 1लीं से 12 वीं तक अध्ययन की निःशुल्क व्यवस्था है तथा पूरे वर्ष भर निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाती है। वर्तमान में संस्था में 290 विद्यार्थी (139 बालक 151 बालिका) इस योजना से निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन की सुविधा प्राप्त कर रहे है। उक्त आस्था गुरूकुल आवासीय विद्यालय 2007 से संचालित है।

2. **निष्ठा** :- इस योजना के अंतर्गत नक्सल हिंसा में मृत माता-पिता के बच्चे/पीड़ित परिवार के बच्चे तथा प्रभावित ग्राम/क्षेत्र के बच्चे प्रदेश के राजनांदगांव जिले में निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहें है। शासन द्वारा निजी संस्थाओं के प्रबंधन से चर्चा करके विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिलाया जाता है। जिला प्रशासन की अनुशंसा पर विद्यार्थी पर हुए कुल व्यय के 25 प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में राशि की प्रतिपूर्ति निजी संस्थाओं को की जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत नक्सल हिंसा प्रभावित ग्राम/क्षेत्र के वर्ष 2017-18 में 151 (92 बालक. 59 कन्या) बच्चे राजनांदगांव एवं रायपुर जिले के कुल 16 निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे है।

3. **प्रयास** :- वर्ष 2017 में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं अंबिकापुर एवं जगदलपुर के प्रयास आवासीय विद्यालयों में कुल 690 विद्यार्थी कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा परिणाम लगभग शत्प्रतिशत रहा प्रथम श्रेणी में 624 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष प्रतियोगी परीक्षा अंतर्गत IIT में 08, NIT/समकक्ष में 40, PMT में 08, PET के माध्यम से विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में 96 विद्यार्थी प्रवेशित हुए है।

प्रयास विद्यालयों की सफलता को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 250-250 सीटर फाउण्डेशन प्रयास (कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु) बालक एवं बालिकाओं हेतु रायपुर में प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त 30 सीटर कामर्स (CA/CS) की कोचिंग प्रयास बालक, रायपुर में प्रारंभ किया गया है तथा 30 सीटर विधि (CLAT) की कोचिंग प्रयास आवासीय विद्यालय, बिलासपुर में बालिकाओं हेतु प्रारंभ किया गया है। आगामी वर्ष में प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग, अंबिकापुर, बिलासपुर एवं बस्तर में फाउण्डेशन प्रयास (कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु) 250-250 सीटर प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसी तरह फीडर प्रयास आवासीय विद्यालय कांकेर को अपग्रेड कर कक्षा 11वीं एवं 12वीं प्रारंभ किया जाना भी प्रस्तावित है।

4. **सहयोग** :- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के इस घटक अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सके। अनाथ बच्चों को पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान शिक्षण शुल्क एवं आने-जाने के व्यय आदि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

## प्रयास आवासीय विद्यालय की दर्ज संख्या वर्ष 2017-18

| क्रं. | प्रयास स्कूल का नाम (स्थापना वर्ष) | वर्ष 2016-17 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अजजा | अजा | अपिव | सामान्य | योग |
| 1 | प्रयास बालक रायपुर (वर्ष 2010) | 195 | 93 | 78 | 31 | **397** |
| 2 | प्रयास बालिका रायपुर (वर्ष 2013) | 180 | 81 | 73 | 22 | **356** |
| 3 | प्रयास दुर्ग (वर्ष 2015) | 123 | 59 | 48 | 12 | **242** |
| 4 | प्रयास बिलासपुर (वर्ष 2015) | 139 | 64 | 53 | 18 | **274** |
| 5 | प्रयास जगदलपुर (वर्ष 2014) | 123 | 53 | 45 | 12 | **233** |
| 6 | प्रयास अंबिकापुर (वर्ष 2014) | 124 | 56 | 44 | 18 | **242** |
| | **योग** | **884** | **406** | **341** | **113** | **1744** |
| 1 | फीडर प्रयास कांकेर (वर्ष 2016) | 96 | 43 | 44 | 0 | **183** |

## प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम

| क्रं. | वर्ष | बैच | आई.आई.टी. में प्रवेशित | एन.आई.टी में प्रवेशित | इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेशित | चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-12 | प्रथम बैच | 02 | 12 | 130 | - |
| 2 | 2011-13 | द्वितीय बैच | 01 | 20 | 45 | 01 |
| 3 | 2012-14 | तृतीय बैच | 0 | 08 | 81 | 03 |
| 4 | 2013-15 | चतुर्थ बैच | 06 | 07 | 84 | 03 |
| 5 | 2014-16 | पंचम बैच | 06 | 30 | 92 | 12 |
| 6 | 2015-17 | षष्ठम बैच | 08 | 40 | 96 | 08 |
| **योग** | | | **23** | **117** | **528** | **27** |

## आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना :-

नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के शिक्षको के पद रिक्त रह जाते है क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की रूचि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इन वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्ययन एवं अध्यापन को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा दुर्ग एवं जगदलपुर में 500-500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य

शिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इन क्षेत्रों में शिक्षको की पूर्ति हेतु वर्ष 2013-14 से यह अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर गणित विषय हेतु 80, जीव विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 80 सीटे है। स्नातकोत्तर कक्षा में विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 20 सीटे है। बी.एड. हेतु कुल 200 सीट स्वीकृत है।

योजना अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों जिन्होंने ने स्नातक-स्नाकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के साथ जारी रखी है। उन्हें शिक्षक के पदो पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्री.बी.एड. तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जा सकता है।

उक्त योजना अंतर्गत 500 सीटर बालिका शिक्षण केन्द्र दुर्ग जिला मुख्यालय में 2013-14 में प्रारंभ की गई है। इसमें वर्ष 2017-18 में 383 बालिकाएं प्रवेशित है तथा विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र जगदलपुर (बालक) में 64 छात्र प्रवेशित है। वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 122.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

| विज्ञान वाणिज्य विकास केन्द्र (कन्या), जिला- दुर्ग | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रं. | वर्ष | प्रथम वर्ष में प्रवेशित | | कुल अध्ययनरत् बालिका | | | अध्यापन हेतु चयनित संस्था का नाम | परीक्षा परिणाम |
| | | बालिकाएं | बालिकाएं | नवीन | नवीनी करण | योग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2013-14 | 240 | - | 159 | - | 159 | 1. स्वामी स्वरूपानंद बी.ए. हुडको-23<br>2. जगतगुरू बी.ए. कालेज | |
| | | | | | | | हुडकों-16<br>3. शंकरा बी.ए. कालेज जुनवानी-48<br>4. रूंगटा बी.एड कालेज दुर्ग-23<br>5. खालसा बी.ए. कालेज दुर्ग-45<br>6. सेठ बद्रीनाथ बी.ए.कालेज दुर्ग-04 | 100% |
| | | | | | | | **योग - 159** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2014–15 | 80 | – | 34 | 159 | 193 | 1. डॉ.सी.वी. रमन वि.वि.–11<br>2. शास.क.एवं वि.म.वि. महा.दुर्ग –04<br>3. शास.महिला महा.वि. दुर्ग –19 | 94% |
| | | | | | | | **योग - 34** | |
| 3 | 2015–16 | 65 | – | 43 | 193 | 236 | 1. शास.क.एवं वि.म. वि.दुर्ग–24<br>2. शास.म.महा.वि. दुर्ग–19 | 84% |
| | | | | | | | **योग - 43** | |
| 4 | 2016–17 | 86 | 13 | 99 | 301 | 400 | 1. सी.वी.रमन स्टडी स्र्कल–11<br>2. शास. कन्या महा.–50<br>3.शास.विज्ञान महा.–144<br>4. शंकराचार्य महाविद्यालय–48<br>5. जगतगुरू शंकराचार्य शिक्षा महा.–18<br>6. खालसा महाविद्यालय–46<br>7.रूंगटा शिक्षा महाविद्यालय–48<br>8. स्वरूपानंद सरस्वती महा.–15<br>9. शास. महाविद्यालय वैशाली नगर–05<br>10. कल्याण कॉलेज–02 | 100% |
| 5 | 2017–18 | 80 | 64 | | 03 363 | 366 | 1. कल्याण कॉलेज–07<br>2. शास.कन्या महा.–81<br>3. शास. विज्ञान महा.–171<br>4. शंकराचार्य महाविद्यालय–48<br>5. जगतगुरू शंकराचार्य | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | शिक्षा महा.-18<br>6. खालसा महाविद्यालय-46<br>7. रूंगटा शिक्षा महाविद्यालय-51<br>8. स्वरूपानंद सरस्वती महा.-15<br>9. शास.महाविद्यालय वैशाली नगर-06<br>10.बस्तर विश्वविद्यालय-07<br>11. काकरी महा.-59<br>12. क्राईस महा.-01 | - |

## आदिवासी विकासखंड मुख्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा :-

आदिवासी विकासखंड मुख्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 500 सीटर छात्रावास निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 13 छात्रावास तथा द्वितीय चरण में 15 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं।

## वन बन्धु कल्याण योजना :-

आदिवासी विकासखंड तथा स्थानीय जनजातियों के समग्र विकास के उद्देश्य से 'वनबन्धु कल्याण योजना' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष 2014-15 में कोण्डागांव जिले के विकासखंड कोण्डागांव का चयन किया गया है। वर्ष 2014-15 में इस योजना हेतु रु. 1000.00 लाख का आबंटन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। योजनान्तर्गत लाइवलीहुड, कौशल प्रशिक्षण, पेयजल सुविधा, स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुविधाएँ, विद्यालयों में शैक्षणिक सुविधाएँ तथा विद्यार्थियों को कोचिंग, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं/बच्चों को पोषण आहार, हस्तशिल्प विकास एवं दस्तावेजीकरण, विद्युतीकरण तथा अन्य सामुदायिक अधोसंरचना इत्यादि कार्य विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा कराए जा रहे हैं। वर्ष 2015-16 में योजनान्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के निम्न साक्षरता क्षेत्र (Low Literacy Pocket) की बालिकाओं जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति की बालिकाएं भी शामिल हैं, को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा कुल 10 आश्रम विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं, जो जिला मुख्यालयों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा अब-तक रुपये राशि 1416.50 लाख स्वीकृत की जाकर 2015-16 में 1384.52 लाख की राशि प्रदाय की गई। उक्त योजना में वर्तमान में 6 जिलों (बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, गरियाबंद, बलरामपुर) में कन्या आश्रम भवन का निर्माण किया जायेगा।

## विशेष रुप से कमजोर जनजातियों के समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम :-

प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों अबुझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर, पण्डो एवं भुंजिया को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने तथा इनके समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण (Convergence) के माध्यम से निम्नानुसार योजनाएँ लागू की गई है :-

1. **आवासहीन परिवारों के लिए आवास** :-

इस योजना के अंतर्गत आवासहीन परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाना है। अब तक कुल 30,660 परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।

2. **पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता** :-

इस योजना के अंतर्गत पेयजल विहीन 175 ग्रामों में प्रत्येक ग्राम में 02 हैण्डपंप स्थापित किये जायेंगे। इस पर रू 350.00 लाख के व्यय का अनुमान है। अब तक 1703 ग्रामों को पेयजल युक्त किया जा चुका है।

3. **विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण** :-

इस योजना के अंतर्गत 763 विद्युत विहीन ग्रामों को विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है। अब तक 1606 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

4. **स्वास्थ्य परीक्षण** :-

इस योजना के अंतर्गत स्वाथ्य परीक्षण तथा हेल्थ कार्ड/स्मार्ट कार्ड तैयार किया जायेगा। हितग्राहियों की अनुमानित संख्या 2.00 लाख से अधिक है। अब तक 1,23,871 हितग्रहियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। लगभग 27,443 स्मार्ट कार्ड एवं 48,275 हेल्थ कार्ड तैयार किये जाकर वितरित किये जा चुके हैं।

5. **खाद्य सुरक्षा प्रदान करना** :-

इस योजना के अंतर्गत 56,466 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अब तक 42,551 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका हैं।

6. **0 से 06 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार (न्यूट्रीशियस फूड) का प्रदाय सुनिश्चित करना** :-

0 से 06 वर्ष आयु के लगभग 41500 बच्चों को तथा गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को नि:शुल्क पोषण आहार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत अब तक 38,184 लाभार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

7. **कौशल उन्नयन** :-

इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 01 व्यक्ति के मान से 44331 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब तक 6726 व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है तथा शेष व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

8. **सामाजिक सुरक्षा** :-

इस योजना के अंतर्गत 56,466 परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य है। इसमे बीमा योजना, जनधन योजना तथा समाज कल्याण विभाग की योजनाएँ शामिल हैं। अब तक 44,547 परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

9. **वन अधिकार पत्र का वितरण** :-

इस योजना के अंतर्गत 2107 ग्रामों के लगभग 56466 हितग्राही परिवारों में से पात्रतानुसार वन अधिकार पत्र का वितरण किया जायेगा। अब तक 17317 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 828 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका हैं।

**10. जाति एवं निवास प्रमाण पत्र का वितरण :-**

इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के सभी 194070 व्यक्तियों को निःशुल्क जाति एवं निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अब तक योजना अंतर्गत 20,412 जाति प्रमाण पत्र एवं 18,939 निवास प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं।

**11. सूचना जागरूकता हेतु रेडियो तथा दैनंदिन आवश्यकता हेतु छात्रा एवं कंबल प्रदाय :-**

इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के 56,466 परिवारों में से प्रत्येक परिवार को एक रेडियो, छाता एवं कंबल निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। अब तक 25,297 परिवारों को रेडियो, 22100 परिवारों को छाता एवं 60199 कम्बल वितरित किये जा चुके है तथा शेष परिवारों को रेडियो, कम्बल एवं छाता प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है।

## खाद्यान्न सुरक्षा योजना :-

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित प्रदेश के सभी छात्रावास-आश्रम में 'खाद्यान्न सुरक्षा योजना' लागू की गई है।

## मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम :-

अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए 'मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' जशपुर जिले में लागू किया गया है। योजना अंतर्गत जशपुर जिले के 05 विकासखंड (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी एवं कांसाबेल) को अल्पसंख्यक विकासखण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के असंतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई योजना में केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत है।

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़क, पेयजल, आय के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं के बीच की कमी को भरने एवं अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

वर्ष 2015-16 में जिले से प्रेषित प्रस्ताव राशि रुपए 5002.95 लाख के विरूद्ध शासन द्वारा राशि रुपए 2884.79 लाख की स्वीकृति दी जाकर राशि रुपए लाख 1442.88 (केन्द्रांश राशि रुपए 1004.74 लाख एवं राज्यांश राशि रुपए 438.145 लाख) का आवंटन प्रदाय किया गया है। कलेक्टर जशपुर के निर्देशन में विभिन्न विभागों के सहयोग से योजना का संचालन किया जा रहा है।

# भाग - छः

# आगामी सत्र के लिए प्रस्तावित नवीन योजना

## नवीन पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर रायपुर एवं बिलासपुर तथा कन्या क्रीड़ा परिसर दुर्ग

विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा परिसर योजना अंतर्गत राज्य के अन्य पिछडा वर्ग प्रतिभावान के खिलाड़ी विद्यार्थियों को विभिन्न खेलों में कौशल उन्नयन कर उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ियों में तैयार करने हेतु। अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य जिले रायपुर एंव बिलासपुर जिला मुख्यालय में एक-एक, 100-100 सीटर बालक क्रीड़ा परिसर एवं दुर्ग में वर्ष 2018-19 में एक 100 सीटर कन्या क्रीड़ा परिसर प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव है। स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त क्रीड़ा परिसर स्थापित कर विभिन्न क्रीड़ा गतिविधियों का प्रषिक्षण संबंधित खेलों के कोच द्वारा दिया जाकर पिछड़ा वर्ग के खिलाड़ी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं हेतु तैयार किया जाएगा।

# भाग - सात

# सारांश

संविधान की पाँचवीं अनुसूची में वर्णित अधिकारों एवं आदिवासी क्षेत्रों के हितों का संरक्षण विभाग का प्रमुख दायित्व है। विभाग प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ-साथ उनके सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीकों से अनेक योजनाओं का सतत् क्रियान्वयन कर रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलताएँ मिली हैं। राज्य बनने के पश्चात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की सांस्कृतिक विरासत तथा आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में विविध समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों के सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना विभाग की मुख्य प्राथमिकता रही है। इस हेतु विभाग द्वारा अनेक अभिनव योजनाएँ संचालित की जा रही है। शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वरोजगारमूलक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्म निर्भरता तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना विभाग का लक्ष्य है। राज्य के आदिवासी अंचलों के शैक्षिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। विशिष्ठ संस्थाओं के रूप में क्रीडा परिसर एवं एकलव्य जैसे आवासीय विद्यालय के संचालन से इन वर्गों के छात्र-छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। वहीं राज्य मुख्यालय पर 'प्रयास' जैसी संस्था के संचालन से नक्सल प्रभावित जिलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर निर्माण हेतु नए अवसर खुले हैं। प्रयास विद्यालय के छात्रों की उल्लेखनीय उपलब्धियों ने बस्तर तथा सरगुजा जैसे प्रदेश के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास को नई दिशा प्रदान की है तथा इन दूरस्थ जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रति विशेष जागृति उत्पन्न की है। रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय की सफलता को देखते हुए विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालय जगदलपुर, अम्बिकापुर, दुर्ग और बिलासपुर तथा जिला मुख्यालय कांकेर में भी '**प्रयास**' आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। विभाग अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में सहयोग हेतु अनेक योजनाएँ संचालित कर रहा है।

आदिवासी उपयोजना के माध्यम से भी विभाग आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। इन क्षेत्र में आदिवासियों के व्यापक हित में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों के माध्यम से जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय आदिवासी जनप्रतिनिधि भी नामांकित किए गए है ताकि वे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं का जनजाति समुदाय के हित में निर्धारण कर सकें। जिससे विभिन्न विकास विभागों के उपयोजना कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों तथा आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय विकास व अधोसंरचना निर्माण के कार्यों को गतिशील करने के लिए राज्य में तीन प्राधिकरण भी गठित किए गए हैं, जिसके माध्यम से स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण

करने हेतु अनुकरणीय प्रयास हुए हैं। प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक/आर्थिक परिदृश्य के अनुक्रम में विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एव विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार मूलक कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्र में कार्यरत विशेष संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी स्वरोजगार मूलक योजनाएं संचालित कर रहा है जिसमें वित्तीय सहायता भी उपलबध कराई जाती है।

विकास की असीम संभावना से युक्त छत्तीसगढ़ राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु आदिवासी हित में बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता एवं प्रबल इच्छाशक्ति से अभिप्रेरित होकर और पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए नीतियों, योजनाओं एवं तौर-तरीकों में परिवर्तन/परिमार्जन का भी प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा अभिकरणों की स्वशासी समितियों तथा जनजाति सलाहकार परिषद् के मार्गदर्शन में अभिनव योजनाओं का निर्माण एवं संचालन इस विभाग द्वारा किए गए नवाचार के प्रमाण हैं। यह ही नहीं अब शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदाय की विशिष्ट उपलब्धियों को रेखांकित किया जाने लगा है। विकास की इस यात्रा में हम चुनौतियों को सामना करते हुए निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं।